वर्ष-41 अंक-149 जुलाई-दिसम्बर, 2023

पुलिस विज्ञान

आई एस एस एन 2230-7044 पुलिस विज्ञान

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

पुलिस विज्ञान

अंक-149 (जुलाई -दिसम्बर, 2023)

सलाहकार समिति

बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक

रुचिका ऋषि
निदेशक (एस.पी.डी.)

संपादक : **सतीश चन्द्र डबराल**

संपादन सहयोग
मनोज कुमार साव, वरिष्ठ अनुवादक
पिसाल विक्रम आनंदराव, हिंदी अनुवादक

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
राष्ट्रीय राजमार्ग - 48, महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

बालाजी श्रीवास्तव, भा.पु.से.
महानिदेशक

Balaji Srivastava, IPS
Director General

Tel. : 91-11-26781312 (O)
Email : dg@bprd.nic.in

पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037

Bureau of Police Research & Development
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
National Highway-48, Mahipalpur,
New Delhi-110037

संदेश

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 19 सितंबर, 1978 को संपन्न हुई हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि ब्यूरो द्वारा प्रकाशित की जा रही अंग्रेजी पत्रिका के साथ हिंदी पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाए। तदनुसार वर्ष 1982 से 'पुलिस विज्ञान' नाम से हिंदी पत्रिका का प्रथम अंक प्रकाशित किया गया। पत्रिका में पुलिस, पुलिस प्रशासन, जेल प्रबंधन, न्यायालयिक विज्ञान, साइबर अपराध, आपराधिक जाँच आदि पुलिसिंग से संबंधित विषयों पर उत्कृष्ट लेख प्रकाशित किए जाते हैं। अब तक पत्रिका के कुल 148 अंक प्रकाशित हो चुके हैं।

हमारे देश की पुलिस व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही शान्ति और न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रही है। समय के साथ पुलिस व्यवस्था में परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन होते रहे हैं। आज भारतीय पुलिस न केवल देश में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यरत है बल्कि देश की सीमाओं की भी रक्षा कर रही है। पुलिस का कार्यक्षेत्र अब बहुत बढ़ चुका है। पुलिस देश के कई राज्यों में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रही है और कई राज्यों में आतंकवाद के विरुद्ध अभियानों में शामिल है। देश के समक्ष आने वाली नित नई समस्याओं, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए भी पुलिस को सदैव तत्पर रहना पड़ता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न विषयों के लेख, पुलिस बलों एवं संगठनों में कार्यरत कर्मियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

(बालाजी श्रीवास्तव)

"Promoting Good Practices and Standards"

रुचिका ऋषि, भा.पु.से.
आई.जी. /निदेशक
(एन.पी.एम एवं एस.पी.डी.)

Ruchika Rishi, I.P.S.
IG/ Director (NPM &SPD)

Tel. : +91-11-26782027
Email: dirnpm@bprd.nic.in

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय राजमार्ग - 48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037

Bureau of Police Research and Development
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
National Highway 48, Mahipalpur,
New Delhi-110037

संदेश

आप सबके समक्ष पुलिस विज्ञान पत्रिका का 149वां अंक प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

यह पत्रिका हिंदी भाषी राज्यों के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य बहुत लोकप्रिय है जिसकी पाठकों को प्रतीक्षा रहती है। पुलिस कार्मिक पत्रिका के माध्यम से अपने व्यावसायिक कौशल को बढ़ाते हैं जिससे उन्हें अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने में सुविधा प्राप्त होती है। पत्रिका का प्रेषण केन्द्रीय पुलिस संगठनों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों आदि सहित हिंदी भाषी राज्यों में थाना स्तर तक किया जाता है।

प्रस्तुत अंक में ऐसे लेखों का चयन किया गया है जो वर्तमान समय में पुलिसिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं जैसे समकालीन पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी का समावेशः एक सैद्धांतिक विश्लेषण, भारत में साइबर अपराध और सोशल इंजीनियरिंग जागरूकता, पुलिस जनता संबंध और पुलिस कार्यों में जन-साधारण की भागीदारी जैसे विषय बहुत ही प्रासंगिक हैं। साथ ही, किशोर न्याय प्रशासन और महिलाओं के विरूद्ध अपराध में पुलिस की भूमिका एवं शिवपुरी जेल प्रशासन द्वारा अपनाई जा रही पहल से पुलिस कर्मियों को अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने में मदद मिलेगी।

मैं इस अवसर पर ब्यूरो में हिंदी अनुभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुलिस विज्ञान हिंदी पत्रिका के निरंतर प्रकाशन और इसमें महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित करने के लिए उनके प्रयासों की सराहना करती हूँ।

(रूचिका ऋषि)
निदेशक (एसपीडी)

संपादकीय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की परिकल्पना, आज से 53 वर्ष पूर्व देश की पुलिसिंग में उत्तम कार्यप्रणालियों एवं उच्च मानकों के प्रोत्साहन तथा पुलिस को सक्षम व कार्य कुशल बनाने के लिए की गयी थी। विगत वर्षों से, ब्यूरो अपनी उपयोगिता को सिद्ध करते हुए विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान एवं सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में किए गए कार्यों द्वारा पुलिसिंग को वर्तमान समय के अनुरूप आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करने के लिए निरंतर कार्य करता आ रहा है।

'पुलिस विज्ञान' पत्रिका का अंक 149 पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। इस अंक में ऐसे लेखों का चयन किया गया है जो वर्तमान समय में पुलिसिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन लेखों में समकालीन पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी का समावेशः एक सैद्धांतिक विश्लेषण, उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) समुदाय – राष्ट्रीय मुख्यधारा की दहलीज पर, भारत में साइबर अपराध और सोशल इंजीनियरिंग जागरूकता, पुलिस जनता संबंध और पुलिस कार्यों में जन-साधारण की भागीदारी जैसे विषय बहुत ही प्रासंगिक हैं जो इस अंक को निश्चित रूप से उपयोगी बनाएंगे।

हमें पूर्ण विश्वास है कि इस अंक से पुलिस कार्मिकों को पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता, देश में सोशल इंजीनियरिंग में जागरूकता से साइबर अपराध कम करने में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इसके साथ-साथ किशोर न्याय प्रशासन और महिलाओं के विरूद्ध अपराध में पुलिस की भूमिका एवं शिवपुरी जेल प्रशासन द्वारा अपनाई जा रही पहल से पुलिस कर्मियों को अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने में मदद मिलेगी।

पुलिस विज्ञान के आगामी अंकों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए पाठकों के सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

सतीश चन्द्र डबराल
संपादक

विशेष प्रोजेक्ट प्रभाग

बीपीआरएंडडी की स्थापना के साथ ही **विशेष प्रोजेक्ट प्रभाग** अस्तित्व में आया। बीपीआरएंडडी के पांच अन्य प्रभाग जिनके अपने-अपने परिभाषित चार्टर है, उसके अलावा, ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जिन पर समय-समय पर भारत सरकार और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस बलों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। मानव तस्करी विरोधी, लैंगिक मुद्दे और अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित विषयों पर अकादमिक अध्ययन से अलग भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बीपीआरएंडडी जैसे संगठन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक सांख्यिकीय इकाई है जो आंकड़े एकत्रित करती है जिसके आधार पर दृष्टिकोण तैयार कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस कार्य के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता और इसी उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए ब्यूरो में एक विशेष प्रोजेक्ट प्रभाग का गठन किया गया। यह प्रभाग मूलतः अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों का केन्द्र भी है जिन्हें ब्यूरो में किसी अन्य प्रभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

महत्वपूर्ण प्रकाशन

प्रमुख प्रकाशन और कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

(क) **इंडियन पुलिस जर्नल (IPJ) –** यह बीपीआरएंडडी का प्रमुख तिमाही प्रकाशन है जिसे वर्ष 1954 में शुरू किया गया था। इसमें पुलिसिंग, पुलिस प्रशासन और प्रबंधन, सुधारात्मक प्रशासन और जेल प्रबंधन, फोरेंसिक, डिजिटल साक्ष्य और पुलिस बलों के बीच अच्छी प्रथाओं और मानकों को साझा करने जैसे विषयों पर लेख प्रकाशित किए गए हैं।

(ख) **पुलिस संगठनों के आंकड़े (DoPO) –** यह वर्ष 1986 से एक वार्षिक प्रकाशन रहा है। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीपीओ और सीएपीएफ में जनशक्ति, बुनियादी ढांचा, वाहन, पुलिस स्टेशन आदि से संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। इन आंकड़ों का उपयोग सरकारी एजेंसियों, नीति आयोग, गृह मंत्रालय आदि द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है।

(ग) **पुलिस विज्ञान पत्रिका –** वर्ष 1982 से **''पुलिस विज्ञान''** हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका में पुलिस, पुलिस प्रशासन, जेल प्रबंधन, न्यायालयिक विज्ञान, साइबर अपराध, आपराधिक जाँच आदि पुलिसिंग से संबंधित विषयों पर उत्कृष्ट लेख प्रकाशित किए जाते हैं। अब तक पत्रिका के कुल 148 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। पत्रिका का प्रेषण केन्द्रीय पुलिस संगठनों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, गृह मंत्रालय और हिंदी भाषी राज्यों में थाना स्तर तक किया जाता है।

(घ) **पुलिस ड्रिल मैनुअल –** यह प्रकाशन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पुलिस ड्रिल से संबंधित सभी प्रकार के अभ्यासों के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है।

(ङ) **सजग भारत & Vigilant India पत्रिका –** पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस के अच्छे कार्यों के प्रचार-प्रसार को जन-जन तक पहुंचाने के लिए **पाक्षिक पत्रिका "सजग भारत"/"Vigilant India"** का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका का प्रेषण देश के माननीय सांसदों, विधायकों, मीडिया कार्मिकों आदि को किया जा रहा है। साथ ही पत्रिका की सॉफ्ट कॉपी को E-sampark के माध्यम से 7 करोड़ से अधिक लोगों को भेजा जा रहा है। पत्रिका का प्रथम अंक अप्रैल, 2023 को प्रकाशित किया गया । अब तक पत्रिका के कुल 18 अंक प्रकाशित हो चुके हैं।

(च) **बीपीआरएंडडी समाचार बुलेटिन -** यह बीपीआरएंडडी का तिमाही प्रकाशन है जिसमें बीपीआरएंडडी एवं इसके अधीनस्थ इकाईयों में की गई सभी प्रमुख गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाता है।

विषय सूची

लेख	लेखक	पृष्ठ सं.
समकालीन पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी का समावेश: एक सैद्धांतिक विश्लेषण	श्री मुकेश कुमार डूडी	2
पुलिस-जनता संबंध और पुलिस कार्यों में जन साधारण की भागीदारी	श्री लक्ष्य	11
उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) समुदाय - राष्ट्रीय मुख्यधारा की दहलीज पर	श्री महावीर प्रसाद भारद्वाज	19
भारत में साइबर अपराध और सोशल इंजीनियरिंग जागरूकता	डॉ. शंकर सिंह	28
किशोर न्याय प्रशासन में पुलिस की भूमिका	श्रीमती सुमिता मुदगल	38
महिलाओं के विरूद्ध अपराध एवं पुलिस की भूमिका	श्री राजीव कुमार	45
शिवपुरी जेल में जेल प्रशासन की अच्छी पहल	श्री रमेश चन्द्र आर्य	53

समीक्षा समिति के सदस्य

श्री राजेंद्र कुमार, आईपीएस, श्री राजेश प्रताप सिंह, आईपीएस, डॉ. सत्येंद्र नारायण पांडे, डॉ. शरद, डॉ. अशोक कुमार वर्मा, आईपीएस, श्री नसीरुद्दीन एस. एल., डॉ. अरविंद तिवारी, श्री कमल कांत शर्मा, डॉ. उपनीत लाली, श्री सुनील कुमार गुप्ता

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : ऐन्नीथिंग प्रिंटर, WZ-219, लॉजवंती गार्डन, नई दिल्ली-110046, फोन : 7982084106

समकालीन पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी का समावेश: एक सैद्धांतिक विश्लेषण

श्री मुकेश कुमार डूडी
सीनियर रिसर्च फ़ेलो (PhD), विधि विभाग, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा

सारांश

इक्कीसवीं सदी का आगमन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की क्रांति के साथ हुआ है, जिससे एक नए युग 'डिजिटल युग' का सूत्रपात हुआ है, जहाँ नित-नई प्रौद्योगिकी का आविष्कार हो रहा है। जिसने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। पुलिस प्रशासन भी इस डिजिटल युग और प्रौद्योगिकी के समावेश से अछूता नहीं है। वर्तमान में पुलिसिंग को नागरिकों की समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी समावेश की अनेक अनूठी पहल की जा रही हैं। प्रस्तुत आलेख में प्रौद्योगिकी समावेशन का पुलिसिंग पर प्रभाव के आँकलन के उद्देश्य से पुलिसिंग के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के सफल उदाहरणों का सैद्धांतिक विश्लेषण किया गया है। देश की विभिन्न पुलिस एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त उत्तम अभ्यासों के चुनिंदा उदाहरणों को द्वितीयक आंकड़ों के रूप में प्रयोग किया गया है। वर्तमान पुलिस सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी समावेश की भावी संभावनाओं पर विचार किया गया है।

मुख्य शब्द – प्रौद्योगिकी समावेश, साइबर अपराध, डिजिटल युग, बेहतर पुलिसिंग, उत्तम अभ्यास

परिचय

वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी ने समाज एवं जीवन के प्रत्येक पक्ष को सक्रिय रूप से प्रभावित किया है, इसके प्रयोग से सूचना एवं संचार, व्यापार वाणिज्य, सामान्य प्रशासन, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में तीव्रगामी बदलाव आए हैं। समय के साथ पुलिसिंग में भी अनेक बदलाव आए हैं, जहाँ पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जा रहा है। पुलिस सामान्य प्रशासन की एक प्रमुख कार्यकारी एजेंसी है, जिसके चलते पुलिसिंग में नागरिक केंद्रित एवं सेवा उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाया जाना आवश्यक है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुसंशाओं, आदर्श पुलिस अधिनियम, 2006 के उद्देश्यों, सतत विकास लक्ष्य -16 के मिशन वाक्य आदि सभी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक केंद्रित पुलिसिंग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। पुलिस को नागरिक केंद्रित बनाए जाने के लिए अनेक सफल डिजिटल पहल की गई हैं। हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति ने पुलिसिंग की प्रकृति को इतना महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है कि सिर्फ एक दशक पहले की कई प्रणाली और उपकरण आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ पुराने और असंगत हो गए हैं। जिनमें समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक हो गया है।

पुलिस कार्यों में प्रौद्योगिकी समावेश के उत्तम प्रयोग

प्रौद्योगिकी को अक्सर विकास के पर्याय के रूप में उपयोग किया जाता है। आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेन्स (एआई) तकनीक ने पुलिस सेवाओं को बेहतर बनाने, पुलिस बलों को नागरिकों के साथ जोड़ने, जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बनाने, कानून व्यवस्था, अपराध अन्वेषण में अभूतपूर्व मदद की है। बॉयोमीट्रिक्स, चेहरे की पहचान, स्मार्ट कैमरे, अपराध मानचित्रण और वीडियो निगरानी प्रणाली जैसे स्मार्ट समाधानों का उपयोग बढ़ रहा है। हाल के एक अध्ययन में पाया गया कि एआई जैसी स्मार्ट प्रौद्योगिकियां शहरों में अपराध को 30 से 40 प्रतिशत तक कम करने और आपातकालीन सेवाओं के लिए प्रतिक्रिया समय को 20 से 35 प्रतिशत तक कम करने में मदद कर सकती हैं।

पुलिसिंग को और अधिक बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी के समावेश का महत्वपूर्ण योगदान है, इसी क्रम में पुलिसिंग के विभिन्न कार्यक्षेत्रों यथा- पुलिस प्रशिक्षण, संगठनात्मक प्रबंधन, अपराध अन्वेषण, कानून व्यवस्था, नागरिक सेवा, यातायात प्रबंधन, जन कल्याणकारी गतिविधियों आदि में तकनीकी समावेश की अनेक अभिनव पहल की गई हैं, जिनका कार्यक्षेत्र वार विश्लेषण निम्न प्रकार किया गया है।

पुलिस प्रशिक्षण के क्षेत्र में : हरियाणा पुलिस -

हरियाणा पुलिस ने अपने पुलिस बल को साइबर पुलिसिंग, डिजिटल जांच, सोशल मीडिया सामग्री की निगरानी आदि के लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र (NTRO) के साथ साझेदारी में गुरुग्राम में देश का पहला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। इस पहल की परिकल्पना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी –

- समाज में बढ़ रहे साइबर अपराधों को रोकने एवं उनकी बेहतर अन्वेषण के लिए अन्वेषण अधिकारियों/पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए तकनीकी अवसंरचना का सृजन करना।
- पूर्वानुमानित पुलिसिंग (predictive policing) के लिए विभिन्न स्त्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रशिक्षण तंत्र की स्थापना।
- स्मार्ट पुलिसिंग के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम जैसे - सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर पाठ्यक्रम, साइबर फोरेंसिक पर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, एटीएम और नेट-बैंकिंग धोखाधड़ी आदि के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना।
- अपराध की जांच में तकनीकी के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण, डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का संग्रह और संरक्षण पर प्रशिक्षण प्रदान करना।

संगठनात्मक प्रबंधन में (ई-मालखाना / केस प्रोपर्टी का डिजिटल रख रखाव) : दिल्ली पुलिस

पुलिस प्रणाली में बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी समावेश के अनेक अभिनव प्रयोग किए गए हैं।

source: National Cybercrime Training Centre (CyTrain) (ncrb.gov.in)

पुलिस प्रशिक्षण के क्षेत्र में : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)

साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए साइबर अपराध अन्वेषण के लिए पुलिस कार्मिकों को सक्षम बनाने के लिए उनको उचित प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक हो गया है, इसी को मद्दे नज़र रखते हुए राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (NCCTC) के तहत, एनसीआरबी ने साइट्रेन पोर्टल नामक सिमुलेशन आधारित एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह MOODLE 3.9 के नवीनतम संस्करण पर आधारित है। यह सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अभियोजकों, न्यायाधीशों और न्याय प्रशासन के अन्य हित धारकों को पेशेवर तथा गुणवत्ता वाले ई-लर्निंग संसाधन, सामग्री प्रदान करता है। यह पोर्टल अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपयोग में लिया जा सकता है।

इस पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया बहुत सरल, स्वचालित और नि: शुल्क है। कोई भी उपयोगकर्ता जिसके पास सरकारी डोमेन वाली ईमेल आईडी (जैसे gov.in or nic.in आदि) उपलब्ध हो तो वह अपने नाम, पदनाम, वर्तमान पदस्थापन, संपर्क नंबर जैसी कुछ सामान्य जानकारी दर्ज करके अपनी ईमेल आईडी से ओटीपी के माध्यम से अपने को सत्यापित करके इस पोर्टल पर तुरंत पंजीकरण कर सकते हैं। पोर्टल के होम पेज को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है।

वे पुलिस अधिकारी/न्यायाधीश/अभियोजक जिनके पास सरकारी डोमेन वाली ईमेल आईडी नहीं है, वे अपने स्टेट नोडल ऑफिसर के माध्यम से अपने ऑफ़लाइन पंजीकरण फॉर्म को अग्रेषित करके इस पोर्टल पर पंजीकृत हो सकते हैं। पोर्टल पर राज्य नोडल अधिकारियों की सूची भी दी गई है। पंजीकरण के पश्चात अपने लिए उपयोगी एवं अधिकृत कोर्स का चुनाव करके अपनी क्षमता/सुविधा के अनुरूप आरामदायक गति से पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की समाप्ति पर उपयोगकर्ता को एक ऑनलाइन परीक्षा से गुजरना होता है, जिसको पास करने पर उसे उपरोक्त कोर्स के उत्तीर्ण का एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।

source: NCTC (ncrb.gov.in)

ई-साइबरलैब

साइबर अपराध अन्वेषण में नवीनतम कार्यप्रणाली के प्रयोग का आभासी अनुभव प्रदान करने के लिए एनसीआरबी ने एनसीआरबी मुख्यालय, नई दिल्ली में सी-डैक के माध्यम से एक अत्याधुनिक ई - साइबर लैब स्थापित की है। जिसे 13 अक्टूबर, 2020 को लॉन्च किया गया था यह लैब नवीनतम डिजिटल फोरेंसिक उपकरण और ओपन सोर्स साइबर अपराध का पता लगाने वाले फोरेंसिक उपकरणों से लैस है। साइबर लैब को MOOC प्लेटफॉर्म (साइट्रेन पोर्टल) के साथ भी एकीकृत किया गया है। कोई अधिकारी ई-साइबर लैब में लॉगिन करके किसी भी उपकरण के बारे में जान सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। पोर्टल का होम पेज इस तरह से दर्शाया गया है।

इसी संदर्भ में दिल्ली पुलिस द्वारा मालखानों को आधुनिक और डिजिटाइज़ करने की एक अनूठी परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना के तहत, थाने के मालखाने में मौजूद प्रत्येक केस प्रॉपर्टी को एक कार्ड बोर्ड बॉक्स में उचित पैकिंग करके यूनिक बार कोड आईडी अंकित करके डिजिटाइज़ पहचान प्रदान की गई है। केस प्रॉपर्टी के कार्ड बोर्ड बॉक्स को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से एक विशिष्ट अलमारी या रैक में रखा जाता है, जिसका विवरण उसकी तस्वीर के साथ एक सॉफ्टवेयर में संग्रहीत किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित केस प्रोपर्टी के यूनिक बार कोड को सॉफ्टवेयर में इंटर करके उस प्रॉपर्टी की तस्वीर सहित उसकी रैक/अलमारी संख्या, उस बॉक्स का क्रमांक आसानी से एक साधारण क्लिक पर पता चल जाता है। दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों में इस परियोजना को कार्यान्वित करके परंपरागत मालखाने को ई – मालखाना में परिवर्तित किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर को सीसीटीएनएस के साथ लिंक करके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा केस प्रॉपर्टी के आवागमन एवं निस्तारण की निगरानी को भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

कानून व्यवस्था में (POLL-COPS) : जयपुर-ग्रामीण पुलिस

यह एक सूचना प्रौद्योगिकी से लैस प्रणाली है, जिसे दुनिया के

सबसे बड़े लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राजस्थान में 17 वीं लोकसभा चुनाव के दौरान जयपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा प्रयुक्त किया गया था। पोल-कॉप्स न्यूरल नेटवर्क मॉडल (एनएनएम) पर आधारित है। पोल-कॉप्स सॉफ्टवेयर की मदद से, चुनाव प्रक्रिया में संलग्न विभिन्न एजेंसियों और हित धारकों के बीच एक कॉमन नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी समन्वय और संचार स्थापित किया गया था।

कार्यप्रणाली

इस सॉफ्टवेयर प्रणाली के दो घटक हैं- 1. ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पोल-कॉप्स – सर्वप्रथम इस सॉफ्टवेयर पर जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों की सम्पूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी जैसे मतदान केंद्रों की अवस्थिति, निकटतम पुलिस सहायता केंद्र, उनके आपस की दूरी, रास्ते की जानकारी, संवेदनशील क्षेत्रों एवं मतदान केंद्रों का विवरण, वहाँ तैनात पोलिंग स्टाफ, पुलिस स्टाफ, मोबाइल पुलिस यूनिटों की जानकारी तथा उनके मोबाईल नंबर, स्थानीय मुखबिरों का विवरण आदि अपलोड किया जाता है। इसके माध्यम से मुख्यालय के अधिकारियों और नियंत्रण कक्ष की टीम को ये समस्त जानकारी तत्काल उपलब्ध हो जाती है।

दूसरे घटक में जिला चुनाव प्रबंधन केंद्र (डीईएमसी) में स्थापित नियंत्रण कक्ष को जैसे ही कोई आपातकालीन कॉल प्राप्त होगी, नियंत्रण कक्ष में तैनात टीम सॉफ्टवेयर पोल-कॉप्स से आवश्यक जानकारी एकत्र करके उसके आधार पर कार्य योजना तैयार करेंगे और आवश्यक कार्रवाई के लिए निकटतम फील्ड स्टाफ/मोबाईल पुलिस टीम को सूचित करेंगे।

चुनाव अवधि के दौरान इस पहल के तहत निम्नलिखित चरणों में कार्यवाही की गई थी-

चरण 1: मतदान केंद्र पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि।

चरण 2: जिला चुनाव प्रबंधन केंद्र के नियंत्रण कक्ष को जानकारी।

चरण 3: पोलिंग बूथ, मोबाइल यूनिट के स्थान और स्थान तक पहुंचने के समय के बारे में पोल कॉप्स सॉफ्टवेयर से तेजी से सूचना प्राप्ति।

चरण 4: स्थानीय लोगों से जानकारी की पुष्टि करना।

चरण 5: मोबाइल इकाइयों को आवश्यक कार्यवाही के लिए संदेश भेजना।

चरण 6: आवश्यक कार्यवाही करते हुए कॉल का निस्तारण करके जिला चुनाव प्रबंधन केंद्र के नियंत्रण कक्ष को सूचित करना।

प्रभाव का आँकलन - जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव और वर्ष 2014 में 16 वीं लोकसभा के चुनावों के दौरान कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन वर्ष 2019 में 17 वीं लोकसभा के चुनावों के दौरान इस पोल-कॉप्स सॉफ्टवेयर के उपयोग से चुनाव के दौरान एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया था और जयपुर ग्रामीण जिले में शून्य मामला पंजीकरण था। यह प्रणाली न केवल चुनाव के समय के लिए उपयोगी है, बल्कि आपदा प्रबंधन के दौरान भी सहायक सिद्ध हो सकती है।

कम्यूनिटी पुलिसिंग में (लॉक हाउस मॉनिटरिंग सिस्टम): अमरावती, आंध्र प्रदेश पुलिस

आंध्र प्रदेश पुलिस ने राज्य में चोरी के अपराधों को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन 'लॉक्ड हाउस मॉनिटरिंग सिस्टम (एलएचएमएस)' डिजाइन किया है। यह रियल टाइम निगरानी के लिए एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर है। इस प्रणाली में जब भी कोई परिवार घर को लॉक करके घर से बाहर जाता है तो वह अपनी अनुपस्थिति में पुलिस को अपने घर की निगरानी के लिए वाच रिक्वेस्ट भेजता है, जनता से 'वॉच रिक्वेस्ट' प्राप्त होने पर, पुलिस द्वारा उस घर में एक एलएचएमएस कैमरा (आईपी आधारित मोबाइल वाईफाई मोशन डिटेक्शन सीसी कैमरा) चुपके से स्थापित किया जाता है और उसके फुटेज की वास्तविक समय में उस इलाके के पुलिस नियंत्रण कक्ष द्वारा निगरानी की जाती है। एलएचएमएस कैमरे द्वारा उस घर में प्रवेश करने का कोई प्रयास या आपराधिक गतिविधि को वाच करते ही 'मोशन डिटेक्शन' फीचर से नियंत्रण कक्ष को

Source: https://www.rakshaknews.in/en/police-en/e-malkhana-delhi-police-achieved-another-milestone-in-smart-policing/

अलार्म प्राप्त हो जाता है, जिस पर उचित कार्यवाही के लिए नियंत्रण कक्ष द्वारा संबंधित बीट /गश्त / पुलिस स्टाफ को अलर्ट भेजा जाता है, इस तरह के अलर्ट पर, पुलिस की टीमें उस घर तक पहुंचती हैं और आवश्यक कार्यवाही करते हुए अपराधी को पकड़ती हैं।

आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा अपने नागरिकों को यह एलएचएमएस सेवाएं मुफ्त में प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में यह एप्लिकेशन एपी स्टेट रियल टाइम गवर्नेंस (आरटीजी) कमांड कंट्रोल सेंटर (सीसीसी) में शामिल किया गया है। इसमें एक डैशबोर्ड है, जिसके माध्यम से सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी की जा सकती है। इस एप की सफलता की कहानी यह है कि चोरी की अनेक घटनाओं में अपराधियों को वास्तविक समय के आधार पर सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया तथा चोरी की वारदात को रोक गया है।

यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में - दिल्ली यातायात पुलिस मोबाइल एप

दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात की स्थिति की वास्तविक समय में नागरिकों को जानकारी साझा करने और दिल्ली की सड़कों पर यातायात के बेहतर प्रबंधन में भाग लेने के लिए जनता को आमंत्रित करने के लिए आम जनता के साथ दो-तरफा बातचीत के लिए एक मोबाईल ऐप लॉन्च किया था। यह ऐप विभिन्न स्थानों पर यातायात स्थितियों के बारे में यातायात परामर्श और यातायात अलर्ट जारी करके आम जनता को जानकारी प्रदान करता है। इसमें गूगल मैप पर दी गई हवाई दूरी के आधार पर ऑटो/टैक्सी के लिए किराया गणना की सुविधा भी है। इस एप पर जनता ऑटो/टैक्सी चालक के खिलाफ इनकार/अधिक किराया वसूलने और उत्पीड़न आदि के लिए शिकायत भी दर्ज करा सकती है। जनता दोषपूर्ण यातायात संकेतों के बारे में शिकायत दर्ज करके यातायात प्रबंधन में भी मदद कर सकती है। यह एप विभिन्न अपराधों और दंड के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। वर्ष 2018 के दौरान, ट्रैफिक सेंटिनल ने इस ऐप पर 1,08,014 यातायात उल्लंघनों की सूचना दी थी। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद से 3.72 लाख से अधिक ट्रैफिक उल्लंघन की सूचना मिली है।

B-TRAC बेंगलुरु यातायात पुलिस

प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से यातायात प्रबंधन हेतु बैंगलोर यातायात पुलिस ने एक अनूठी परियोजना शुरू की है जिसे "बी-टीआरएसी" कहा जाता है। बी-टीआरएसी यातायात परिचालन एवं प्रबंधन से संबंधित देश में 'अपनी तरह की पहली' परियोजना है। इस परियोजना में नवीनतम यातायात प्रबंधन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सड़क सुरक्षा तथा सुगम यातायात के साथ - साथ बेंगलुरु शहर में परिवहन प्रणाली में निम्नलिखित सुधार के लिए लागू किया गया है -

- मुख्य शहरी क्षेत्र में यातायात की भीड़ को 30% तक कम करना।
- प्रदूषण में कमी।

- दुर्घटनाओं में 30% की कमी।
- बेहतर पार्किंग प्रबंधन।
- यातायात कानूनों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- समन्वित और नियोजित यातायात प्रबंधन।
- अवसंरचना में वृद्धि करके यातायात पुलिस का सुदृढ़ीकरण।
- क्षमता निर्माण-आधुनिक यातायात प्रशिक्षण संस्थान।

इस परियोजना की सफलता को देखते हुए देश के सभी महानगरों में यातायात प्रबंधन एवं सुगम संचालन के लिए मैनुअल प्रणाली के स्थान पर एआई आधारित स्वचालित प्रणाली को प्रतिस्थापित किया जाना मददगार साबित हो सकता है।

अपराध अन्वेषण में – (त्रिनेत्र लखनऊ): उत्तर प्रदेश पुलिस

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ और केंद्रीकृत करने के लिए त्रिनेत्र एप विकसित किया गया था। यह एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक आधारित मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पैनल है, जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकता है। इसमें अपराधियों/संदिग्ध व्यक्तियों के चेहरे की पहचान, उनकी भाषा, उनके गिरोह का विश्लेषण, और स्केच-आधारित खोज प्रौद्योगिकियों के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों के पूर्वानुमान लगाने जैसी अभिनव विशेषताएं हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने अपने पूरे आपराधिक रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें लगभग 511000 अपराधियों और 1470 पुलिस स्टेशनों का विवरण दर्ज किया जा चुका है। इस एप में फेस रिकग्निशन स्केच तकनीक के माध्यम से अपराधियों को पकड़ने के साथ - साथ लापता/गुमशुदा व्यक्ति और किसी भी मृत शरीर / व्यक्ति की पहचान में भी मदद मिलती है। इस तकनीक का उपयोग करके कई शवों की पहचान की गई है।

डिजिटल डेटा विश्लेषण उत्कृष्टता केंद्र: प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश पुलिस

प्रकाशम जिला पुलिस द्वारा डिजिटल युग के अपराधों से निपटने के लिए डेटा विश्लेषण उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ पर किसी भी अपराध से संबंधित डिजिटल डेटा जैसे सोशल मीडिया सामग्री कॉल रिकॉर्ड, बैंकिंग लेनदेन, सीसीटीवी फुटेज, टोल गेट फुटेज, डिजिटल फुट प्रिंट, यात्रा कार्यक्रम आदि का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करके एक पैटर्न स्थापित किया जाता है जिसको किसी पूर्व में गठित समान प्रकृति के अपराध से लिंक करके संभावित अपराधी की तलाश की जाती है। इसके साथ ही डिजिटल फोरेंसिक साक्ष्यों को एकत्रित करके उनके गुणवत्ता पूर्ण संरक्षण में भी सहायता मिलती है, जिससे दोषसिद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त साइबर अपराधों के अन्वेषण के लिए पुलिस

source: Locked house monitoring police app for android users - The Hindu)

अधिकारियों को आवधिक प्रशिक्षण प्रदान करके ऐसे मामलों की जांच में उनकी क्षमता एवं कौशल में सुधार करना भी शामिल है।

विश्लेषण

पुलिस की छवि एवं कार्यकुशलता दोनों आपस में अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रत्यक्षतः प्रभावित करती हैं। पुलिस की छवि बहुत हद तक उसके प्रति जनता की धारणा पर भी निर्भर करती है। पुलिस की पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सहभागिता जनता की धारणा के निर्धारक अवयव है, जिनका पालन सतत विकास लक्ष्य (SDG)- 16 के टारगेट- 6 "सभी स्तरों पर प्रभावी, उत्तरदायी, एवं पारदर्शी संस्थान" के अनुरूप किया जाना आवश्यक है। पुलिस की छवि के बारे में एक शोध के निष्कर्ष बताते हैं, कि पुलिस के सीधे संपर्क में नहीं आने वाले 98% लोगों की पुलिस के बारे में नकारात्मक राय पुलिस के सीधे संपर्क में आने वाले 2% लोगों की तुलना में अधिक हैं। अर्थात पुलिस से जुड़ाव में नहीं रहने वाले लोग पुलिस के बारे में ज्यादा नकारात्मक धारणा रखते हैं। अतः पुलिस की छवि सुधार के लिए जनता से सीधा जुड़ाव महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक उपयोगी माध्यम है। वर्तमान डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी की भूमिका सभी क्षत्रों में स्थापित हो चुकी है। परंतु इसके अधिकतम उपयोग के लिए इसमें विद्यमान संभावनाओं की तलाश करना आवश्यक है। पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी के वर्तमान इस्तेमाल के स्तर से आगे भी अपार भावी संभावनाएं हैं, जैसे सोशल मीडिया लैब, डिजिटल बीट, डिजिटल गश्त व प्रीडिक्टिव पुलिसिंग जो वर्तमान पुलिसिंग को नए आयाम दे सकती हैं।

संदर्भ सूची एवं वेब लिंक

- BPRD, "Best Practices at Police Stations in Various States and UTs" (2021).
- BPRD, "Best Practices on Smart Policing" (2022).
- Centre for Good Governance, "Creating People-Centric Police Administration A Change Management Toolkit" (2010).
- FICCI, "Best Practices in Smart Policing" (2016).
- FICCI, "Best Practices in Smart Policing" (2017).
- FICCI, "Best Practices in Smart Policing" (2018).
- FICCI, "Best Practices in Smart Policing" (2019).
- Kevin Strom, "Research on the Impact of Technology on Policing Strategy in the 21st Century" (2017) (National Institute of Justice 810 7th Street, NW Washington, DC).
- NCRB, "Good Practices & Success Stories" (2020).
- Niharika Sachdeva and Ponnurangam Kumaraguru, "Online Social Networks and Police in India - Understanding the Perceptions, Behavior, Challenges" (2015).
- Rajya Sabha Unstarred Question No. 552 to be Answered on the 07th February, 2018/ Magha 18, 1939 (Saka) SMART Policing.

- Sebastian Denef, "Best Practice in Police Social Media Adaptation" (2012).
- The Two Hundred Thirty Seventh Report on Police - Training, Modernisation and Reforms, prepared by Department-Related Parliamentary Standing Committee (Rajya Sabha) on Home Affairs (2022).
- प्रशांत चौबे, "स्मार्ट पुलिसिंग" (2019), BPR&D.
- मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006.
- सतत विकास लक्ष्य, 2030.

वेब लिंक

- Compilation of Best Practices:Bureau Of Police Research And Development, Government of India (bprd.nic.in)
- e-malkhana; Delhi Police achieved another milestone in smart policing - Rakshak News
- Home Page:Bureau Of Police Research And Development, Government of India (bprd.nic.in)
- Locked house monitoring police app for android users - The Hindu
- National Cybercrime Training Centre (CyTrain) (ncrb.gov.in)
- National Cybercrime Training Centre (CyTrain) (ncrb.gov.in)
- NCTC (ncrb.gov.in)
- www.composite-project.eu

पुलिस-जनता संबंध और पुलिस कार्यों में जन साधारण की भागीदारी

श्री लक्ष्य
शोधार्थी, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं, राजस्थान

यह कहा जाता है कि पुलिस कार्य के लिए जनता का समर्थन बहुत जरूरी है। पुलिस कार्यों में सफल सम्पादन में जन सहयोग के महत्त्व को प्रकट करने के लिए यहाँ तक कहा जाता है कि अभिव्यक्ति एवं भाषा के लिए जो महत्त्व व्याकरण का है वही महत्त्व समाज के लिए पुलिस का है। दोनों एक-दूसरे के लिए जरूरी हैं, तथा उभयाश्रित (इण्टर डिपेण्डेन्ट) हैं। पुलिस संगठन का निर्माण समाज की सेवा एवं उसके समुचित संचालन के लिए किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा एवं शान्ति की स्थापना के लिए अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों को न्याय प्रक्रिया एवं व्यवस्था के अनुसार दोषी सिद्ध कर दण्ड दिलवाने का कार्य भी पुलिस को करना होता है। कानून एवं व्यवस्था की स्थापना के लिए जहाँ नागरिकों को पुलिस की जरूरत होती है वहीं पुलिस को भी प्रभावी कर्त्तव्यपालन एवं विविध कार्यों के निष्पादन के लिए दिन-रात नागरिकों के सहयोग और समर्थन की पूरी जरूरत होती है। पुलिस की सभी समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब उचित मात्रा में जन समर्थन उन्हें मिले। अपराधों के अनुसन्धान, रोकथाम, सूचना संग्रह,

कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने जैसे महत्त्वपूर्ण पुलिस कार्यों में जन सहयोग की निरन्तर एवं तात्कालिक जरूरत सदा बनी रहती है। सार्वजनिक एवं प्रशासनिक कार्य कठिन तो होते ही हैं, उनका सम्पादन सामाजिक शून्यता में नहीं किया जा सकता। सैद्धान्तिक रूप से पुलिस का प्रत्येक सिपाही जनता की मनोकामनाओं तथा मूल्यों को प्रतिबिम्बित करता है। यह जरूरी है कि उसे उन मनोकामनाओं के अनुसार अपने कार्य एवं व्यवहार को बनाना चाहिये।

कानूनों को लागू करने वाली संस्था के रूप में सत्ता एवं समाज के बीच सार्थक सम्बन्ध बनाए रखने की अहम् भूमिका निभाने की आवश्यकता आज जितनी पुलिस संगठन को महसूस हो रही है, उतनी पहले कभी नहीं हुई। आज के समसामयिक भारतीय समाज में घटित होने वाली ऊहापोह और उथल-पुथल के कारण इस प्रकार के समन्वयात्मक सम्बन्धों को बनाए रखने की और भी अधिक जरूरत है। जैसे-जैसे मानवता अपनी वैज्ञानिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास की ऊँचाइयों को छूती जाएगी वैसे- वैसे पुलिस जनता सम्बन्धों का महत्त्व अधिक से अधिक बढ़ता ही जाएगा।

भारतीय समाज के विभिन्न घटकों के बीच व्याप्त सम्बन्धों की विस्फोटक स्थितियों के कारण आज कानूनों को लागू करने के सम्बन्ध में एक नये बोध का उदय हो चुका है। इसी बोध के आधार पर हम इस बात के अध्ययन की तीव्र जरूरत महसूस करते हैं कि पुलिस-जनता सम्बन्धों के सन्दर्भ में ईमानदारी से अन्तरावलोकन करें और सोचें कि हम कहाँ थे, अभी कहाँ हैं और भविष्य में हम कहाँ होंगे। पुलिस तथा जनता के बीच स्वस्थ और ठोस सम्बन्धों को निर्मित करने के विविध कार्यक्रमों के अभाव में पुलिस में निष्क्रियता तथा जनता में दहशत की स्थितियाँ पैदा होना स्वाभाविक है। इन स्थितियों में दोनों ही वर्गों को अपूरणीय क्षति होना संभव है। यही कारण है कि पुलिस जनता के बीच सम्बन्धों को बनाए रखने के लिए ठोस और कल्पनात्मक कार्यक्रमों को लागू करना सभी समाजों में जरूरी समझा जाता है।

पुलिस-जनता सम्बन्धों की अवधारणा एक उभयपक्षीय व्यवस्था है। जब तक पुलिस एवं समाज दोनों प्रशासकीय सन्दर्भों में प्रभावी रूप से सम्बन्धों को सुधारने में संलग्न नहीं होंगे, तब तक पुलिस जनता के बीच स्वस्थ सम्बन्धों को न तो स्थापित

पुलिस और जनता सम्बन्धों के सभी कार्यक्रम वस्तुतः निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्रित किये जाने चाहिए;

1. पुलिस तथा नागरिकों के बीच सहभागिता के भाव पैदा करना ताकि अपराधों की रोकथाम प्रभावी रूप से की जा सके;
2. पुलिस तथा जनता के बीच व्याप्त सम्प्रेषण, संवाद तथा सद्भाव की स्थितियों को सुदृढ़ आधार प्रदान करना;
3. अन्तर्व्यावसायिक सम्बन्धों को प्रोत्साहित करते हुए, जनता की समस्याओं को हल करना तथा अनिवार्य रूप से यह मानना कि न्याय दिलवाना जनता के सम्पूर्ण सहयोग से ही सम्भव है;
4. पुलिस, अभियोजन, न्यायिक क्षेत्रों तथा सुधारगृहों में कार्यरत कर्मियों के सम्बन्धों में सहयोग की भावना का विकास करना;
5. पुलिस नेतृत्व तथा समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को आम जनता की विविध कठिनाइयों की जानकारी देकर उनकी प्रकृति को समझने में मदद करना। पुलिस एवं अल्पसंख्यक वर्ग के पारस्परिक सम्बन्धों को सुधारना तथा कानून की परिधि के अन्तर्गत उन सभी की सुरक्षा करना।

किया जा सकता है, न ही उन्हें दीर्घजीवी बनाया जा सकता है। पुलिस के पक्षधर महसूस करते हैं कि जब तक पुलिस तन्त्र में व्यापक स्तर पर संगठनात्मक, कार्मिक, प्रक्रियात्मक एवं व्यवहारजन्य सुधारों का सूत्रपात नहीं होगा, पुलिस क्षमता के विकास की दशा में ठोस परिणाम बहुत कम मात्रा में सामने आ पायेंगे। चूँकि पुलिस कार्यों को आसान और सोद्देश्य बनाने में जनता के सहयोग की भूमिका एक मूल्यवान विचलांक हैं, इसलिए ऐसी पृष्ठभूमि विकसित करने की कोशिश की जानी

चाहिए जिसमें पुलिस एवं जनता दोनों की स्वैच्छिक भागीदारी और प्रभावशाली सहयोग सहज रूप से उपलब्ध होता रहे।

समाज चूँकि एक व्यापक, अमूर्त एवं विशाल इकाई हैं, अतः पुलिस के लिए यही हितकर एवं वाँछनीय है कि वह पुलिस जनता सम्बन्धों के विकास में स्वयं ही सक्रिय होकर पहल करें। एक अनुशासनबद्ध एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाई होने के कारण पुलिस विभाग तथा उसमें कार्यरत कर्मियों में सुधार लाना तुलनात्मक दृष्टि से आसान काम है। वाँछित सुधार पुलिस कर्मियों को नए प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करके लाए जा सकते हैं। पुलिस संगठन में आधुनिकीकरण के जरिये भी सुधार लाने के प्रयास किये जा सकते हैं। पुलिस कर्मियों का नये सिरे से व्यावसायिक सामाजिकीकरण कर, उनके मूल्यों एवं अभिवृत्तियों में बदलाव लाकर पुलिस सुधारों को नई दिशा प्रदान की जा सकती है। ऐसा होने पर पुलिस विभाग को नया रूप दिया जा सकता है। पुलिस में सुधार होने पर समाज में पुलिस व्यवसाय को मान्यता तथा सम्मान मिलने की भी पूरी उम्मीद बन जाती है। एक तरफ जहाँ पुलिस में सुधार लाने के प्रयास जारी रहने चाहिये वहीं दूसरी तरफ जनता को भी पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में जानकारी देकर उन्हें प्रशिक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिये। इस सन्दर्भ में सावधानीपूर्वक ऐसे अनेक संगठनों की रचना की जानी चाहिये जो पुलिस को सहज रूप से स्वीकार करें तथा पुलिस कार्यों के निष्पादन में पूरी तत्परता से सहयोग करें। पुलिस के प्रति सकारात्मक भाव पैदा करने तथा उनके प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण जनता में विकसित करने की अहम् जिम्मेदारी भी इन नागरिक संगठनों को सौंपी जा सकती हैं।

'पुलिस कार्यों में लोगों की भागीदारी' के सिद्धांत को, जिसे रॉबर्ट पील के प्रायः कथित शब्दों 'पुलिस की जनता है और जनता की पुलिस है' में अभिव्यक्त किया जाता है, पूरी दुनिया भर में स्वीकार किया जा चुका है। यह सिद्धांत, जिसे 'सामुदायिक पुलिस व्यवस्था' के रूप में भी जाना जाता है, यह इस बात पर बल देती है कि समाज में अपराध की रोकथाम व खोज तथा व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस एवं आम नागरिक सकारात्मक रूप में मिलकर काम करें। दूसरे शब्दों में, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था की संकल्पना आम नागरिकों से आह्वान करती है कि वे न केवल कानून का पालन करने वाले नागरिक बनें बल्कि कानून लागू करने वाले नागरिक भी बनें।

'सामुदायिक पुलिस व्यवस्था' की योजना के अंतर्गत आम नागरिक स्वेच्छा से आगे आकर पुलिस की कुछ जिम्मेदारियां, जैसे आस-पड़ोस पर निगरानी रखना, इलाके की गश्त करना, गली-मुहल्लों की सुरक्षा एवं संकटग्रस्त लोगों की मदद करना, संभालते हैं। इससे पुलिस का समय बचता है क्योंकि उन्हें ऐसे कार्यों को नहीं करना होता जिनकी जिम्मेदारी समुदाय ले लेता है। इस प्रकार बचाए गए समय एवं ताकत को पुलिस अन्य अधिक महत्वपूर्ण कार्यों एवं अनिवार्य क्षेत्रों के लिए उपयोग कर अपनी कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता में सुधार कर सकती है।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था ज्यादा भिन्न न होकर एक सामान्य पुलिस व्यवस्था ही है, जिसमें आम लोगों की सहमति, सहयोग एवं भागीदारी होती है। इसका सार यह है कि पुलिस एवं नागरिकों के बीच की दूरी को इस सीमा तक कम कर दिया जाए कि पुलिसकर्मी उस समाज का अभिन्न अंग बन जाएं जहां वे सेवारत होते हैं। ऐसा करके वे समाज की स्वीकृति व विश्वास पा सकते हैं तथा उन्हें अपराध की रोकथाम करने एवं स्थानीय क्षेत्र की सुरक्षा करने में जनता का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त होगा।

आपराधिक न्याय प्रशासन, पुलिस जिसका एक अभिन्न अंग है, में आम लोगों को शामिल करने का विचार भारत के लिए नया नहीं है। प्राचीन भारत में लोग 'सभा' एवं 'समिति' नामक प्रचलित निकायों के माध्यम से प्रशासन में भाग लेते थे। उत्तर वैदिक काल में 'सभा' न्यायिक अदालत के रूप में कार्य करती थी। सभी में बुजुर्ग अथवा परिवार के मुखियाओं का समावेश होता था जो न्याय करने हेतु एकत्रित होते थे। इस प्रकार की सभाएं कालांतर में पंचायत एवं ग्राम सभा के रूप में जारी रहीं तथा उन्हें न्याय करने एवं अपराधियों को सजा देने की शक्ति प्राप्त थी। ग्राम पंचायत द्वारा शारीरिक रूप से सुदृढ़ ग्रामवासियों को गांव के नागरिकों की एवं उनकी संपत्ति की सुरक्षा करने हेतु रात्रि गश्त की जिम्मेदारी सौंपने की व्यवस्था भारत के कई हिस्सों में अभी भी प्रचलित है।

पुलिस कार्यों की प्रकृति को देखते हुए ज्यादातर कार्यों को पूरा करने के लिए उसे लोगों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होती है। पुलिस आपराधिक एवं शरारती तत्वों

पर निगरानी रखने के लिए सर्वत्र उपस्थित नहीं रह सकती। पुलिस अपेक्षा करती है कि लोग उसके आंख एवं कान बने। लोगों को चाहिए कि ये आपराधिक योजनाओं एवं षड्यंत्रों के बारे में सूचना पुलिस को दें ताकि समय पर प्रतिबंधक कदम उठाए जा सकें। संज्ञेय अपराध के मामले में, इससे पहले कि महत्वपूर्ण सूत्र एवं सबूत मिट जाएं या नष्ट कर दिए जाएं, पुलिस को तत्काल सूचित करना चाहिए। अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी यह अपेक्षा करता है कि जो लोग घटना के गवाह हैं या अन्य प्रकार से मामले के तथ्यों से परिचित हैं, वे सच्चाई बयान करें जिससे कि मामले को तर्कसंगत निष्कर्ष तक ले जाया जा सके। मौखिक गवाही पर ही पूर्णतः निर्भर मामलों में गवाहों से यह अपेक्षा होती है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष सच्चाई बयान पर अभियोजन पक्ष का समर्थन करें। इसी प्रकार सार्वजनिक व्यवस्था एवं सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए पुलिस को जनता के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है।

निश्चित परिस्थितियों में पुलिस को सहायता एवं सहयोग करने हेतु कानून ने लोगों पर निश्चित कर्तव्य अधिरोपित किए हैं, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। लेकिन वास्तव में यह संभव नहीं है कि लोगों को पुलिस की मदद करने के लिए विवश किया जाए। अधिकांशतः, यह निर्णय लेना व्यक्ति की अंतर्रात्मा एवं चरित्र पर निर्भर करता है कि वह कितनी उत्सुकता व बारीकी से अपने आस-पास के माहौल पर नजर रखेगा और पुलिस को आपराधिक योजनाओं एवं संदेहास्पद गतिविधियों के विषय में सूचित करेगा। इसलिए पुलिस को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वह लोगों को विवश कर उनका आधा-अधूरा सहयोग प्राप्त करने के बजाय उन्हें विश्वास में लेकर उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त करे। इसके लिए पुलिस को लोगों का विश्वास व भरोसा प्राप्त करने की जरूरत है।

जनता का विश्वास मुफ्त उपहार नहीं है, पुलिस द्वारा लगातार प्रयास एवं धैर्य से इसे अर्जित करना होता है। जनता का विश्वास एवं निष्ठा जीतने के लिए सर्वप्रथम शर्त यह है कि पुलिस अपनी कथनी और करनी दोनों के द्वारा स्वयं को 'लोकमित्र संस्था' साबित करे। एक बार लोगों में यह विश्वास हो जाएं कि पुलिसकर्मी उनके अधिकारों का सम्मान करते हैं तो वे निश्चित रूप से पुलिस से दोस्ती करेंगे एवं उसे हर संभव सहयोग देंगे।

लोगों का पुलिस में विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिसकर्मी नियमित तौर पर लोगों से मिलें और उनसे वार्तालाप करें। ऐसे अवसरों पर पुलिस नागरिकों को अपनी सीमाओं और कठिनाईयों से अवगत करा कर उनके संदेह व पुलिस के प्रति भ्रांति को दूर कर सकती है। लोग भी ऐसे अवसरों का उपयोग पुलिस को उपयुक्त सूचना देने के लिए कर सकते हैं। पुलिस व लोगों के बीच नियमित की व्यवस्था के अभाव में बहुत से लोग, जो पुलिस को सूचनाएं देने की इच्छा रखते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं। यह मिथ्या भ्रांति कि 'पुलिस एक बल है जिससे डरना चाहिए न कि ऐसी एजेंसी है जिससे प्रेम किया जाए', आम आदमी को पुलिस के साथ संबंध बनाने के लिए पहल करने में रुकावट है। इस मिथ्या धारणा को जनता के साथ अच्छे संबंध बनाकर मिटाने को जरूरत है। इसका

सतर्क नागरिक कार्यक्रम

अनेक मामलों में, आपराधिक घटनाओं के संबंध में सूचना देने के लिए गवाह इच्छुक नहीं होते क्योंकि उन्हें अपराधियों द्वारा बदला लेने का डर होता है। कई बार नागरिक, अवैध हथियारों, नशीले पदार्थो एवं विस्फोटकों जैसे गंभीर अपराधों के बारे में बिना अपनी पहचान जाहिर किए सूचना देना चाहते हैं। परन्तु, नागरिकों को पुलिस से तुरंत एवं विश्वसनीय रूप से संपर्क करने की सुविधा के अभाव में पुलिस लोगों से ऐसी अत्यंत उपयोगी सूचनाएं एवं महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त करने से वंचित रह जाती है।

सतर्क नागरिक कार्यक्रम का उद्देश्य अपराध करने की योजनाओं एवं षड्यंत्रों, किए जा चुके अपराध के सूत्रों, अपराधियों के ठिकानों तथा चोरी का माल या निषेधित वस्तुओं जैसे हथियार, विस्फोटक, नशीली दवाइयां एवं तस्करी का माल छिपाने के स्थानों के बारे में सूचना प्राप्त करना है।

आसान उपाय यह है कि लोगों को विभिन्न स्वैच्छिक योजनाओं के माध्यम से पुलिस कार्यों में शामिल किया जाए।

पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ाने में लोगों के स्वैच्छिक सहयोग के महत्व को महसूस करते हुए 'सामुदायिक पुलिस व्यवस्था' के सिद्धांत को विश्व भर में अपनाया गया है। बहुत से देशों में अनेक स्वैच्छिक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं जिनके माध्यम से नागरिक स्वयं को सक्रिय रूप से पुलिस कार्यों में लगा सकते हैं। भारत में भी पुलिस संगठनों ने इस संबंध में प्रयास किए हैं। इस अध्याय में भारत के विभिन्न हिस्सों में तथा अन्य देशों में शुरू की गई विभिन्न स्वेच्छिक योजनाओं के विषय में चर्चा की गई है। पुलिस व्यवस्था में लोगों की भागीदारी के महत्व को प्रकाशमय करने हेतु कुछ योजनाओं, जिनमें लोगों ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में व गंभीर अपराधों को हल करने में पुलिस की सहायता करके एक अहम भूमिका निभाई।

भारत में स्वैच्छिक योजनाएं

पुलिस को 'लोकमित्र संस्था' बनाने तथा अपराध से लड़ने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने एवं सामाजिक सामंजस्य निर्माण करने में नागरिकों का सक्रिय सहयोग लेने हेतु भारत के लगभग सभी राज्यों के पुलिस संगठनों ने लोगों के लिए विभिन्न स्वैच्छिक योजनाएं प्रारंभ की हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

शांति समितियां

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के विभिन्न हिस्सों में गंभीर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इन दंगों ने बहुत से मासूम लोगों की जानें ली, निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को भारी क्षति पहुंचाई एवं चारों तरफ अराजकता का माहौल बना दिया। स्थिति को संभालने के लिए सरकार को भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात करना पड़ा, निषेधात्मक आदेश जारी करने पड़े एवं प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों की इन घटनाओं ने लोगों के मस्तिष्क पर डरावनी यादें रख छोड़ी।

शांति समिति में ऐसे सम्माननीय नागरिक होते हैं जो अपने क्षेत्र अथवा वर्ग के लोगों को, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रभावित कर सकें। स्थानीय सांसदों एवं विधायकों के अतिरिक्त, व्यापारी समुदाय के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधिगण शान्ति समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या संबंधित क्षेत्र के आकार एवं संवेदनशीलता पर निर्भर करती है।

मोहल्ला समितियां

महाराष्ट्र में मोहल्ला समिति की शुरुआत सर्वप्रथम मुंबई के निकट एक औद्योगिक शहर, भिवंडी में हुई थी। मुंबई में मोहल्ला समितियों की सफलता को देखते हुए, तमिलनाडु सरकार ने भी कोयम्बतूर एवं रामनाथपुरम के संवदेनशील जिलों में महाराष्ट्र में प्रचलित मोहल्ला समितियों की तर्ज पर शांति समितियां बनाने का निर्णय लिया है।

सामुदायिक संपर्क समूह

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत में संगठन एवं कानून प्रवर्तन कार्यप्रणाली के प्रबंधन सुधार हेतु समाज के साथ औपचारिक संपर्क बढ़ाने के लिए एक मॉडल का विकास किया गया। इस मॉडल को, जिसमें बीट, पुलिस थाना एवं जिला स्तर पर सामुदायिक संपर्क समूह के गठन का प्रावधान निहित है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाए गए तीनों राज्यों, राजस्थान, असम एवं तमिलनाडु में क्रियान्वित किया गया है। तत्पश्चात्, केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत पायलट पुलिस स्टेशन पद्धति पर जनता का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने स्तर पर सामुदायिक संपर्क समूहों का गठन करने का निर्णय लिया।

सामुदायिक संपर्क समूह दिए हुए क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो जनता और पुलिस के बीच के संबंधों को अच्छा बनाने के सांझा विशेष उद्देश्य के साथ एकत्रित होते हैं। जनता और पुलिस के बीच सहयोग, सूचना के आदान- प्रदान, आपसी मेल-जोल एवं सहमति के द्वारा समाज में शांति एवं सामंजस्य को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सामुदायिक संपर्क समूह के गठन का निर्देश दिया है। ऐसे राज्यों में जहां नागरिक समितियां जैसे कि मोहल्ला समिति (महाराष्ट्र), मैत्री समिति (आंध्र प्रदेश), नगर एवं ग्राम रक्षा समितियां (मध्य प्रदेश) पहले से ही कार्य कर रही हैं, वहां उन संगठनों में बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यदि आवश्यक हो तो सामुदायिक संपर्क समूह की कुछ

विशेषताओं को विद्यमान व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है।

पड़ोस निगरानी योजना

1989 में दिल्ली पुलिस द्वारा प्रारम्भ की गई पड़ोस निगरानी योजना का उद्देश्य अपराधों में कमी करना, सुरक्षा की भावना जागृत करना, पुलिस कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना तथा पुलिस जनता के संबंधों में सुधार लाना है। बड़े स्तर पर प्रतिबंधक उपायों को लागू करना इस योजना में शामिल है। इनमें सेंधमारी के पीड़ितों तथा उनके एकदम पास वाले पड़ोसियों को केन्द्रित करके 'स्वयं सहायता लघु पड़ोस निगरानी योजना' का गठन करना, स्थानीय प्राधिकारियों की सीधी कार्रवाई के द्वारा सेंधमारी के पीड़ितों के घरों की सुरक्षा में सुधार करना, तथा स्थानीय पीड़ित समर्थन संगठनों तथा सामुदायिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से, पीड़ितों एवं पड़ोसियों को अपराध की रोकथाम संबंधी सलाह देना शामिल है।

इस परियोजना को चलाने हेतु दिन-प्रतिदिन के आधार पर पूर्णकालिक समन्वयक हैं तथा इसकी प्रगति को देखने हेतु एक संचालन समिति है। समन्वयक को स्थानीय समस्याओं को पहचानने, उचित प्रतिबंधक उपाय 'खोजने और योजना की कार्यदक्षता पर ध्यान देने तथा उसमें उचित संशोधन करने हेतु सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संचालन समिति सामान्यतः योजना पर देख-रेख करती है। इसमें पुलिस के प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय, सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय व्यवसायी वर्ग और स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि संचालन समिति नियमित तौर पर मिले तथा प्रगति की समीक्षा करे। पुलिस अधिकारी बैठकों में भाग लेते हैं, अपराध निवारण प्रस्तुति देते हैं, लोगों को सुरक्षा संबंधी सलाह देने के लिए उनके घरों का दौरा करते हैं और समन्वयक को मार्गदर्शन करते हैं।

ग्राम सुरक्षा दल

कर्नाटक राज्य में कर्नाटक विपेज डिफेन्स पार्टीज एक्ट, 1964 के अंतर्गत ग्राम दलपती के नेतृत्व में ग्राम सुरक्षा दल योजना को वैधानिक तौर पर आरंभ किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक गांव या गांवों के समूह के लिए, जैसी आवश्यकता हो, ग्राम सुरक्षा दल बनाए जाते हैं तथा प्रत्येक दल में अधिक से अधिक 48 ग्राम सदस्य होते हैं।

ग्राम सुरक्षा दलों के सामान्य कर्तव्य में, अपराध की रोकथाम के उद्देश्य से गांव में गश्त लगाना, ग्रामवासियों के जान व माल की सुरक्षा करना, सार्वजनिक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना तथा राज्य सरकार या पुलिस अधीक्षक द्वारा समय-समय पर दिए गए अन्य कर्तव्यों का पालन करना शामिल है।

ग्राम सुरक्षा समिति

मध्य प्रदेश में ग्राम सुरक्षा समिति एक महत्वपूर्ण सामुदायिक पुलिस व्यवस्था कार्यक्रम है। ग्राम सुरक्षा समिति का इतिहास 1950 के दशक से शुरू होता है जब राज्य, खेतीहारी क्षेत्रों में डाकुओं की समस्या से जूझ रहा था। ग्रामीण पुलिस थाने का कार्यक्षेत्र बहुत विशाल होने के कारण पूरे क्षेत्र में पुलिस प्रभावी ढंग से ध्यान नहीं दे पाती थी, अतः पुलिस को डाकुओं से निपटने की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लोगों को इस बात का अहसास था और वे पुलिस को सहयोग देने के इच्छुक थे। डाकुओं के आवागमन और छुपने के ठिकानों तथा गांव के संदिग्ध तत्वों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने हेतु पुलिस एवं जनता ने एक-दूसरे को सहयोग देने की परम आवश्यकता को महसूस किया, और इसलिए तत्कालीन राज्य शासन ने ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन करने का निर्णय लिया। राज्य शासन ने 1956 में, ग्वालियर, चम्बल, सागर एवं रीवा संभागों के डकैती प्रभावित जिलों में क्रमबद्ध तरीके से ग्राम सुरक्षा समितियां बनाने के लिए नए आदेश जारी किए।

उपसंहार

उपरोक्त चर्चा से यह उजागर होता है कि अनेक देशों में पुलिस संगठनों द्वारा पुलिस कार्य में लोगों की भागीदारी के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाई गई हैं। सामुदायिक पुलिस कार्य एक सशक्त विचारधारा है जिससे दुनिया के अग्रणी पुलिस संगठनों में सकारात्मक बदलाव आया है। भारत में भी पुलिस नेतृत्व द्वारा लोगों का सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास किए गए हैं। तथापि, भारत में अपराधों की संख्या, कानून-व्यवस्था से संबंधित समस्याओं की बारंबारता तथा सांप्रदायिक अशान्ति की घटनाओं को देखते हुए लोगों का विश्वास और सहयोग प्राप्त करने के लिए अधिक उत्साह और क्रमबद्ध प्रयासों की आवश्यकता है।

परंतु, जब तक पुलिस अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाती तब तक लोगों का हार्दिक सहयोग प्राप्त करने और उनका विश्वास जीतने के प्रयासों से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, राज्य की सभी इकाईयां अंततः लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। पुलिस को अनिवार्य रूप से इस वास्तविक तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए तथा लोगों के अधिकारों एवं कल्याण को सर्वोच्च महत्व देना चाहिए। लोगों के साथ पूर्ण शिष्टाचार से व्यवहार करना चाहिए। यदि किसी मामले में पुलिस, कानूनी प्रतिबंध तथा कार्यक्षेत्र के अभाव में, लोगों की सहायता करने में सक्षम नहीं है फिर भी ऐसी स्थिति में लोगों को सहानुभूति दिखानी चाहिए तथा उनको उचित मार्गदर्शन करना चाहिए।

नागरिकों को यह याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता का सुख भोगने के लिए शान्ति और सुरक्षा का माहौल होना अति आवश्यक है। अपराधग्रस्त समाज में आम आदमी निरंतर भयभीत रहता है तथा वह जीवन का आनन्द लेने के बारे में सोचने की बजाय हमेशा अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहता है। इसलिए राज्य, पुलिस और लोगों को अपराध पर सर्वप्रथम ध्यान देने की आवश्यकता है तथा अपराध को रोकने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि पुलिस का निर्माण आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए हुआ है। लोगों के जान व माल की सुरक्षा करना तथा समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना पुलिस के अनिवार्य कर्तव्य हैं परन्तु पुलिस सर्वत्र उपस्थित नहीं रह सकती तथा सर्वज्ञानी नहीं हो सकती, इसलिए उसे कठिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए लोगों की सहायता, समर्थन एवं सहयोग की आवश्यकता होती है। स्पष्टतः, पुलिस और लोगों को सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने की तथा राष्ट्र-विरोधी व समाज-विरोधी तत्वों की आपराधिक योजनाओं को ध्वस्त करने के लिए मिलकर कार्य करने 'की आवश्यकता है।

व्यक्ति के सुखी जीवन व चहुंमुखी विकास के लिए सुरक्षा एवं शान्ति का वातावरण होना आवश्यक है। अपराधग्रस्त समाज व अव्यवस्था के माहौल में लोग जीवन का आनंद लेने की बजाय स्वयं की और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहते हैं। राष्ट्रीय और सामाजिक विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए भी सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था का होना अनिवार्य है।

शान्ति सुरक्षा एवं सामाजिक सामंजस्य का माहौल निर्माण करने की सबसे अधिक जिम्मेदारी पुलिस पर है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुलिस को अपराध निवारण एवं अन्वेषण करना, अपराधियों पर अभियोग चलाना तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखना इत्यादि कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। चूंकि ये कार्य जन सहयोग पर निर्भर करते हैं, इसलिए लोगों की मदद एवं समर्थन के बिना पुलिस इन कार्यों में वांछित परिणाम हासिल नहीं कर सकती। यद्यपि निश्चित परिस्थितियों में पुलिस की सहायता करना लोगों की कानूनी जिम्मेदारी है, परन्तु ऐसी जिम्मेदारी का पालन करवाने के लिए लोगों को बाध्य करना व्यावहारिक रूप में पूर्णतया संभव नहीं होता। वैसे भी, जबर्दस्ती लिया हुआ और अनिच्छा से दिया गया सहयोग पूर्णतया उपयोगी सिद्ध नहीं होता। इसलिए पुलिस को लोगों के स्वैच्छिक एवं तहेदिल से सहयोग की आवश्यकता है।

यद्यपि अपराध से लड़ने तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एवं लोगों में मधुर संबंध और आपसी समझ होना अनिवार्य है, फिर भी कड़वी सच्चाई यह है कि अभी भी ये दोनों एक-दूसरे के प्रति गलतफहमियां रखते हैं। परिणामस्वरूप, लोगों के सामने दिन-दहाड़े किए गए कत्ल के प्रकरणों में अभियुक्त बरी हो जाते हैं, आए दिन कानून-व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं तथा राष्ट्र की सुरक्षा की हमेशा खतरा बना रहता है। इससे जाहिर होता है कि जरूर कहीं कोई गंभीर कमी है।

हां, यह कमी हैं, पुलिस एवं लोगों में आपसी विश्वास की।

अतः, पुलिस और लोगों को अपनी आपसी भूमिका और जिम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए तथा अपराध से लड़ने, सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने तथा सामाजिक सामंजस्य निर्माण करने हेतु एकजुट होना चाहिए ताकि भारत एक न्यायप्रिय समाज की ओर बढ़े, जिसकी कल्पना हमारे संविधान के निर्माताओं ने की थी।

संदर्भ

भारतीय पुलिस व्यवस्था आचरण समस्याएँ एवं अधिकार, लेखक श्री गौड, प्रकाशक- संजय बुक एनक्लेव, वर्ष 2006.

अपराध निरोध, लेखक – हाकिम राय, दि ब्राईट लॉ हाउस, आर.के, आफसेट प्रोसेस, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) समुदाय - राष्ट्रीय मुख्यधारा की दहलीज पर

श्री महावीर प्रसाद भारद्वाज
संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), राज्यसभा सचिवालय

भारत में उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) व्यक्तियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान किन्नर, हिजड़ा, अरावाणी, जोगता, जनखा इत्यादि नामों से की जाती है। यद्यपि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में उभयलिंगी व्यक्तियों की कुल संख्या 4,87,803 बताई गई है तथापि भिन्न-भिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुमानों के अनुसार पूरे भारत में इनकी संख्या 20 लाख से 60 लाख तक आंकी गई है।

उभयलिंगी (ट्रांसजेंडर) समुदाय देश में एक ऐसा समुदाय है, जो सर्वाधिक हाशिए पर है, क्योंकि वे 'पुरुष' या 'स्त्री' के लिंग के सामान्य प्रवर्गों में फिट नहीं होते। परिणामस्वरूप यह समुदाय सदियों से सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव, सामाजिक कलंक, अपमान, उपहास, अत्याचार, शोषण, आर्थिक विपन्नता, बेरोजगारी, शैक्षणिक सुविधाओं की कमी, चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी इत्यादि समस्याओं का सामना करता आ रहा है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत एक कल्याणकारी लोकतान्त्रिक गणराज्य बन गया। यद्यपि भारत का संविधान लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किये जाने का प्रतिषेध करता है और सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता की गारंटी देता है, तथापि उभयलिंगी व्यक्तियों के साथ भेदभाव और अन्याय का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ और स्वतन्त्रता प्राप्ति के लगभग 70 वर्षों तक उभयलिंगी व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, चिकित्सकीय सुविधा, रोजगार की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया जिसके फलस्वरूप इस समुदाय को समाज और देश की मुख्यधारा से हट कर, दयनीय और सोचनीय परिस्थितियों में, हाशिये पर रह कर जीवन गुजारने पर विवश होना पड़ा।

सरकार और प्रशासन की दोषपूर्ण नीति के चलते इन्हें अन्यथा स्वस्थ और योग्य होते हुए भी केवल उभयलिंगी होने के कारण मेडिकल आधार पर सरकारी नौकरियों के अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। इन्हें अपनी लिंग सम्बन्धी पहचान का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए दर दर भटकना और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इनके लिए निवास की गंभीर समस्या होती थी, क्योंकि गृहस्थ लोग इन्हें मकान किराये पर देने से इंकार कर देते हैं। इन्हें दत्तक ग्रहण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उभयलिंगी होने के कारण इन्हें अपने ही परिवार से बहिष्कार कर दिया जाता है। इनके लिए न तो शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार की कोई व्यवस्था थी, और न इनके लिए सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, विशेष चिकित्सा सुविधा तथा पुनर्वास के प्रावधान थे। इन्हें सरकारी लाभकारी स्कीमों में भी किसी प्रकार का आरक्षण प्राप्त नहीं था।

स्थिति में बदलाव की शुरुआत

गत लगभग एक दशक से, देर से ही सही, कुछ समर्पित समाज सेवियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों के भगीरथ प्रयासों से इनकी स्थिति में बदलाव की शुरुआत हुई है और समाज में इनके प्रति सहानुभूति और न्याय की भावना जागृत हुई है, जिसके फलस्वरूप उभयलिंगी व्यक्तियों को भी देश और समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उभयलिंगी समुदाय की समस्याओं की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए देश की सर्वोच्च कानूनी व विधायी संस्थाओं और केन्द्रीय सरकार ने इनकी स्थिति में सुधार लाने हेतु कुछ सराहनीय व युगान्तरकारी हस्तक्षेप किए हैं, जिनकी बदौलत आज यह समुदाय समाज और राष्ट्र की मुख्यधारा में प्रवेश करने की दहलीज पर खड़ा होने तथा देश और समाज के विकास में भागीदार बनने में समर्थ हुआ है। आइए, इन युगान्तरकारी घटनाओं पर एक दृष्टि डालते हैं।

तृतीय लिंग के रूप में मान्यता के द्वारा अधिकारों का संरक्षण

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ के मामले में, 15 अप्रैल 2014 को पारित अपने ऐतिहासिक आदेश के द्वारा अन्य बातों के साथ, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को, उभयलिंगी समुदाय के कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाने का, और संविधान के भाग 3 के अधीन और संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन, उनके अधिकारों की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ, उन्हें तृतीय लिंग के रूप में मान्यता प्रदान करने का निदेश दिया है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के समर्थन में राज्य सभा में गैर-सरकारी विधेयक का सर्वसम्मति से पारित किया जाना:

24 अप्रैल 2014 को राज्य सभा के गत 45 वर्षों के इतिहास में पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के समर्थन में डी.एम.के. सांसद श्री तिरुची शिवा द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी विधेयक को राज्य सभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना:

राज्य सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित गैर सरकारी विधेयक से संकेत ग्रहण करते हुए, और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के समर्थन में व्यापक जनभावना का संज्ञान लेते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा 19 जुलाई, 2017 को लोक सभा में उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2017 पेश किया गया। 5 अगस्त, 2017 को इसे लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया। 26 नवम्बर, 2019 को यह विधेयक राज्य सभा द्वारा भी पारित कर दिया गया। 5 दिसम्बर, 2019 को इसे महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त हुई और 10 जनवरी, 2020 को इसे उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 40) के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 135(अ) दिनांक 10 जनवरी 2020 के द्वारा, पूरे देश में लागू कर दिया गया।

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 को देश भर में लागू किया जाना:

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 40) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 बनाए गए, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2 खंड 3(प) दिनांक 20 सितम्बर, 2020 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि.(अ) दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा, पूरे देश में लागू कर दिया गया।

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 40) तथा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 की मुख्य विशेषताएं:

1. उभयलिंगी व्यक्ति की परिभाषा

इस अधिनियम के अध्याय 1 में, धारा 2(ट) में उभयलिंगी व्यक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:

2(ट)-उभयलिंगी व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका लिंग उसके जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। इसके अन्तर्गत उभय पुरुष (ट्रांसमैन) और उभय स्त्री (ट्रांस वूमन), (चाहे ऐसे व्यक्ति ने 'लिंग पुनः निर्धारण शल्य क्रिया' या 'हॉर्मोन चिकित्सा' या 'लेजर चिकित्सा' करवाई हो या नहीं), अन्तःलिंग भिन्नताओं (इन्टर सेक्स वेरिएशंस) वाले, लिंग समलैंगिक और किन्नर, हिजड़ा, अरावाणी और जोगता जैसा सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति शामिल हैं।

2. विभेद का प्रतिषेध

इस अधिनियम के अध्याय 2 में धारा 3 के अन्तर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रति निम्नलिखित आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध किया गया है।

3. कोई व्यक्ति या स्थापन किसी उभयलिंगी व्यक्ति के विरुद्ध या उसके प्रति निम्नलिखित आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, अर्थातः

(क) शैक्षिक स्थापनों और उनकी सेवाओं का प्रत्याख्यान (मनाही Denial) या उन्हें जारी न रखना या अनुचित व्यवहार;

(ख) नियोजन/रोजगार या उपजीविका का प्रत्याख्यान (Denial) या उनके सम्बन्ध में अनुचित व्यवहार;

(ग) नियोजन/रोजगार या उपजीविका का प्रत्याख्यान (Denial) या समाप्त किया जाना;

(घ) स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं का प्रत्याख्यान (Denial) या उन्हें जारी न रखना या उनमें अनुचित व्यवहार;

(ड़) जन साधारण के उपयोग हेतु समर्पित या जन साधारण को रूढ़िजन्य रूप से उपलब्ध किन्हीं सामानों, वास सुविधा, सेवा, सुविधा, फायदा विशेषाधिकार या अवसर तक पहुंच या उसके उपबन्ध या अधिभोग या उपयोग का प्रत्याख्यान (Denial) या उन्हें जारी रखना;

(च) संचलन के अधिकार (Right to Movement) का प्रत्याख्यान (Denial) या उसे जारी न रखना या उसके सम्बन्ध में अनुचित व्यवहार;

(छ) किसी सम्पत्ति में निवास करने, क्रय करने, किराये पर लेने या अन्यथा किसी सम्पत्ति के अधिभोग में लेने के सम्बन्ध में अधिकार या प्रत्याख्यान या उसे जारी न रखना या अनुचित व्यवहार;

(ज) पब्लिक या प्राइवेट पद के लिए खड़े होने या उसे धारण करने के अवसर का प्रत्याख्यान या जारी न रखना या अनुचित व्यवहार; और

(झ) सरकारी या प्राइवेट स्थापनों, जिनकी देखरेख या अभिरक्षा में कोई उभयलिंगी व्यक्ति है, में पहुंच का प्रत्याख्यान (Denial) या उनसे हटाना या उनसे अनुचित व्यवहार करना।

4. उभयलिंगी व्यक्तियों की पहचान को मान्यता

इस अधिनियम के अध्याय 3 में धारा 4, 5, 6, 7 के अधीन उभयलिंगी व्यक्तियों की पहचान को मान्यता देने के प्रावधान किए गए हैं।

5. उभयलिंगी व्यक्ति की पहचानः

(1) उभयलिंगी व्यक्ति को इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसरण में उसी रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(2) उपर्युक्त उपधारा (1) के अधीन उभयलिंगी के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति को स्वयं अनुभव की गई लिंग पहचान का अधिकार होगा।

6. पहचान के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

उभयलिंगी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को, उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, तथा ऐसे दस्तावेजों के साथ, जो विहित किये जाएं, आवेदन कर सकेगा।

परन्तु अप्राप्तवय बालक होने की दशा में, ऐसा आवेदन ऐसे बालक के माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा किया जाएगा।

7. पहचान का प्रमाणपत्र जारी करना

(1) जिला मजिस्ट्रेट, आवेदक को, धारा 5 के अधीन पहचान का प्रमाण पत्र, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण के पश्चात् और ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, ऐसे व्यक्ति के लिंग को उभयलिंगी के रूप में उपदर्शित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) उभयलिंगी व्यक्ति का लिंग सभी शासकीय दस्तावेजों में उपर्युक्त उपधारा (1) के अधीन जारी प्रमाणपत्र के अनुसार अभिलिखित किया जाएगा।

(3) उपर्युक्त उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी प्रमाणपत्र उसे अधिकार प्रदान करेगा और उभयलिंगी के रूप में उसकी पहचान की मान्यता का सबूत होगा।

8. (1) लिंग में परिवर्तन और पुनरीक्षित लिंग प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र जारी किये जाने के पश्चात्, यदि उभयलिंगी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री के रूप में अपने लिंग में परिवर्तन के लिए शल्य क्रिया करवाता है, तो ऐसा व्यक्ति इस निमित्त उस चिकित्सा संस्था, जिसमें उस व्यक्ति ने शल्यक्रिया करवाई है, के चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र के साथ, जिला मजिस्ट्रेट को पुनरीक्षित प्रमाणपत्र के लिए, ऐसे प्रारूप और ऐसी रीती में आवेदन करेगा, जो विहित की जाए।

(2) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिंग में परिवर्तन का प्रमाणपत्र जारी किया जाना

जिला मजिस्ट्रेट, चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ आवेदन की प्रति पर, और ऐसे प्रमाणपत्र की सत्यता का समाधान हो जाने पर, लिंग में परिवर्तन को उपदर्शित करते हुए, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) पुनरीक्षित प्रमाणपत्र के आधार पर प्रथम नाम को बदलने का अधिकार

वह व्यक्ति जिसे धारा 6 के अधीन प्रमाणपत्र या धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षित प्रमाणपत्र जारी किया गया है, अपने जन्म प्रमाणपत्र और ऐसे व्यक्ति की पहचान से सम्बन्धित अन्य सभी शासकीय दस्तावेजों में अपने प्रथम नाम में परिवर्तन करने का हकदार होगा।

परन्तु लिंग में ऐसा परिवर्तन और धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन जारी पुनरीक्षित प्रमाणपत्र इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हकदारियों को प्रभावित नहीं करेगा।

(4) सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय

अधिनियम के अध्याय 4 में धारा 8 के तहत उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए समुचित सरकार की बाध्यता का उल्लेख किया गया है।

समुचित सरकार की बाध्यताः

9. (1) **समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी तथा समावेशः** समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों की समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा उन्हें समाज में समाविष्ट करने के लिए कदम उठाएगी।

(2) **कल्याणकारी उपायों तथा स्कीमों तक पहुंच को सुकर बनानाः** समुचित सरकार ऐसे कल्याणकारी उपाय करेगी, जो उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकारों

और हितों को संरक्षित करने तथा सरकार द्वारा बनाई गई कल्याणकारी स्कीमों तक उनकी पहुंच को सुकर बनाने के लिए विहित किये जाएं।

(3) **उभयलिंगी संवेदी कल्याणकारी स्कीम तथा कार्यक्रम तैयार करनाः** समुचित सरकार ऐसी कल्याणकारी स्कीमें और कार्यक्रम तैयार करेगी जो उभयलिंगी-संवेदी, लांछन न लगाने वाले तथा गैर भेदभावकारी हों।

(4) **उद्धार, संरक्षण और पुनर्वास हेतु कदम:** समुचित सरकार, उभयलिंगी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके उद्धार संरक्षण तथा पुनर्वास हेतु कदम उठाएगी।

(5) **सांस्कृतिक और मनोरंजक क्रियाकलाप में भागीदारीः** समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों के सांस्कृतिक और मनोरंजक क्रियाकलाप में भाग लेने के अधिकार का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए समुचित कदम उठाएगी।

(6) **स्थापनों और अन्य व्यक्तियों की बाध्यता** अधिनियम के अध्याय 5 में धारा 9, 10, 11, 12 में स्थापनों तथा अन्य व्यक्तियों की बाध्यता का उल्लेख किया गया है।

नियोजन/रोजगार में भेदभाव न करना

10. कोई स्थापन रोजगार/नियोजन कभी किसी उभयलिंगी व्यक्ति के साथ नियोजन/रोजगार के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत भर्ती, प्रोन्नति, और अन्य सम्बन्धित मुद्दे शामिल हैं, किन्तु केवल उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, कोई भेदभाव नहीं करेगा।

11. अधिनियम का अनुपालन तथा सुविधा प्रदान करने की बाध्यताः प्रत्येक स्थापन इस अधिनियम के उपबन्धों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा और उभयलिंगी व्यक्तियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करायेगा, जो विहित की जाएं।

12. शिकायत निवारण तंत्रः प्रत्येक स्थापन इस अधिनियम के उपबन्धों के अतिक्रमण/उल्लंघन सम्बन्धित शिकायतों से निपटने के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करेगा।

13. (1) **निवास का अधिकारः** किसी बालक को उसके माता-पिता से या उसके निकट कुटुम्ब से उभयलिंगी होने के आधार पर पृथक नहीं किया जाएगा, सिवाय तब के जब ऐसे बालक के हित में सक्षम न्यायालय के आदेश हों।

(2) **प्रत्येक उभयलिंगी व्यक्ति को -**

(क) उस गृहस्थी में जहां उसके माता-पिता या निकट कुटुम्ब के सदस्य निवास करते हैं, निवास का अधिकार होगा;

(ख) ऐसे गृहस्थी या उसके किसी भाग से अपवर्जित न किये जाने का अधिकार होगा;

(ग) ऐसे गृहस्थी की सुविधाओं का गैर भेदभावकारी रीति में उपभोग करने का अधिकार होगा।

(3) **पुनर्वास केन्द्र में रखे जाने का निर्देशः** जहां किसी उभयलिंगी के माता या पिता या उसके निकट कुटुम्ब का सदस्य उसकी देखभाल करने में असमर्थ है, वहां सक्षम न्यायालय, आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को पुनर्वास केन्द्र में रखे जाने का निदेश देगा।

(4) **उभयलिंगी व्यक्ति की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य :** अधिनियम के अध्याय 6 में धारा 13, 14 और 15 के अन्तर्गत उभयलिंगी व्यक्ति की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के विषय में उपबन्ध किए गए हैं।

समावेशी शिक्षाः

14. समुचित सरकार द्वारा वित्तपोषित या मान्यता प्राप्त प्रत्येक शैक्षिक संस्था उभयलिंगी व्यक्ति को, बिना किसी भेदभाव के अन्य व्यक्तियों के साथ, समानता के आधार पर समावेशी शिक्षा, क्रीड़ा, मनोरंजन और अवकाश क्रियाकलाप के लिए अवसर उपलब्ध कराएगी।

व्यावसायिक/वृत्तिक प्रशिक्षण और स्वरोजगारः

15. समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए

जीविकोपार्जन को सुकर बनाने और उसमें सहायता करने के लिए कल्याणकारी स्कीमें तथा कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसके अन्तर्गत व्यावसायिक/वृत्तिक प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार भी शामिल है।''

स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं -

16. समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(क) **HIV की निगरानी केन्द्रों की स्थापना:** राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन द्वारा इस निमित्त जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों के लिए सीरम निगरानी संचालित करने के लिए पृथक मानव प्रतिरक्षा अल्पता विषाणु सीरम निगरानी केन्द्रों (Human Immune Deficiency Virus Sero Surveillance Canters) की स्थापना करना;

(ख) **चिकित्सा देखरेख सुविधा:**चिकित्सा देखरेख सुविधा प्रदान करना, जिसके अन्तर्गत लिंग पुनःनियतन शल्य क्रिया **(Sex Reassignment Surgery)** और हॉर्मोन सम्बन्धी उपचार भी शामिल है।

(ग) **लिंग पुनःनियतन शल्य क्रिया और हॉर्मोन चिकित्सा से पूर्व और पश्चात् परामर्श की सुविधा**

(घ) **लिंग पुनःनियतन शल्य क्रिया से सम्बन्धित चिकित्सा मैन्युअल प्रस्तुत करना:** वर्ल्ड प्रोफेशन एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेन्डर हेल्थ गाइडलाइंस के अनुसार लिंग पुनः नियतन शल्य क्रिया से सम्बन्धित चिकित्सा मैन्युअल जारी करना;

(ड़) **चिकित्सकों की चिकित्सा पाठ्यचर्या और अनुसंधान का पुनरावलोकन/समीक्षा करना:** उभयलिंगी व्यक्तियों के विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान देने के लिए चिकित्सकों की चिकित्सा पाठ्यचर्या और अनुसंधान का पुनरावलोकन करना;

(च) **उभयलिंगी की पहुंच को सुकर करना:**अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं और केन्द्रों में उभयलिंगी की पहुंच को सुकर बनाना; और

(छ) **उनके चिकित्सा व्यय चुकाने के लिए उपबन्ध:** उभयलिंगी व्यक्तियों की समग्र बीमा योजना के द्वारा लिंग पुनः नियतन शल्य क्रिया, हॉर्मोन चिकित्सा, लेजर चिकित्सा या इनके किन्हीं अन्य स्वास्थ्य मुद्दों पर चिकित्सा व्यय को चुकाने के लिए उपबन्ध करना।

उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद्

अधिनियम के अध्याय-7 में धारा 16(1), (2), (3) तथा धारा 17 के अधीन निम्नलिखित उपबन्ध किए गए हैं:

17. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने और इसे सौंपे गए कृत्यों को करने के लिए, अधिसूचना द्वारा एक **उभयलिंगी व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद्** का गठन करेगी।

(2) **उभयलिंगी राष्ट्रीय परिषद् निम्नलिखित 31 सदस्यों से मिलकर बनेगी**

(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रभारी केन्द्रीय मंत्री - अध्यक्ष, पदेन;

(ख) सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रभारी राज्य मंत्री - उपाध्यक्ष, पदेन;

(ग) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रभारी सचिव - सदस्य, पदेन।

(घ) निम्नलिखित मंत्रालयों तथा विभागों, प्रत्येक से भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का एक प्रतिनिधि - सदस्य पदेनः

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
(ii) गृह मंत्रालय,
(iii) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,
(iv) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय,
(v) मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
(vi) ग्रामीण विकास मंत्रालय,
(vii) श्रम और रोजगार मंत्रालय,
(viii) विधि कार्य मंत्रालय,
(ix) पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग,
(x) राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था आयोग

(ड़) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रत्येक से, भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का एक प्रतिनिधि - सदस्य, पदेन

(च) चक्रानुक्रम में, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य, पदेन

(छ) उभयलिंगी समुदाय के पांच प्रतिनिधि, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से चक्रानुक्रम द्वारा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक, नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, सदस्य,

(ज) उभयलिंगी समुदाय व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों या संगमों (NGOs or NGAs) का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले 5 सदस्य,

(झ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण से व्यौहार करने वाला भारत सरकार का संयुक्त सचिव, सदस्य पदेन।

(3) राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य का पदावधिः पदेन सदस्य से भिन्न राष्ट्रीय परिषद् का सदस्य उसके नाम निदेशन की तारीख से तीन वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेगा।

राष्ट्रीय परिषद् का सचिवालयः राष्ट्रीय परिषद् को अपनी बैठकें आयोजित करने और अपने कार्यों को करने की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

{उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 का नियम 14}

18. उभयलिंगी व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद् के कृत्य

राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद् निम्नलिखत कृत्यों को करेगीः

(क) उभयलिंगी व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रम, विधान और परियोजनाएं तैयार करने हेतु परामर्श देना;

(ख) उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए समानता और पूर्ण सहभागिता हासिल करने के लिए डिजाइन की गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव (Impact) की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन करना;

(ग) सरकार के सभी विभागों तथा अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, जो उभयलिंगी व्यक्तियों से सम्बन्धित मामलों से व्यौहार कर रहे हैं, के क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन और समन्वय करना;

(घ) उभयलिंगी व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करना;

(ड़) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जाएं।

अपराध और दण्ड

अधिनियम के अध्याय 8 में धारा 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित कृत्यों को अपराध माना गया है, अर्थात्ः

19. जो कोई

(क) किसी उभयलिंगी व्यक्ति को बलपूर्वक या बंधुआ मजदूरी का कार्य करने के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा;

(ख) किसी उभयलिंगी व्यक्ति के किसी सार्वजनिक स्थान में आवागमन के अधिकार का प्रत्याख्यान (मना करना Deny) करेगा अथवा ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान, जिस तक अन्य व्यक्तियों की पहुंच या अधिकार है, के उपयोग या उस तक पहुंच को अवरुद्ध करेगा;

(ग) उभयलिंगी व्यक्ति को गृहस्थी, ग्राम या निवास के अन्य स्थान को छोड़ने के लिए विवश करेगा या छोड़ना कारित करेगा;

(घ) किसी उभयलिंगी व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य या भलाई की अपहानि या क्षति करेगा या खतरे में डालेगा, चाहे वह मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से, या ऐसे कृत्य करेगा जिसके अन्तर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरुपयोग भी शामिल हैं, तो वह कारावास से, जो छः मास से

कम नहीं होगा, किन्तु दो वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से दंडनीय होगा।

उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याणार्थ कुछ अनुपूरक सुझाव

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 इस समुदाय के लिए एक युगान्तरकारी कानून है। इसमें इनके कल्याण के लिए एक आधारभूत कानूनी ढांचा तैयार किया गया है जो निश्चित रूप से इन्हें भारी राहत देगा और उनकी विशिष्ट समस्याओं के समाधान में सहायक होगा। नीचे कुछ अनुपूरक सुझाव दिए गए हैं जो इस अधिनियम की अन्तर्निहित भावना के अनुरूप इसके उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं।

1. कल्याणकारी उपायः

(क) उभयलिंगी व्यक्तियों की वास्तविक कुल जनसंख्या का पता लगाया जाए। उन सब का पंजीकरण किया जाए। सरकार की ओर से उन्हें लिंग पहचान प्रमाणपत्र दिये जाएं। इससे इनके लिए विशेष स्कीम और कार्यक्रम बनाने तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

(ख) इन्हें स्वयं द्वारा अनुभव किए गए लिंग की मान्यता दी जानी चाहिए। इसमें कुछ भी इनके ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। इन्हें स्वानुभूत लिंग का ही प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए। लिंग परिवर्तन या लिंग पुनः निर्धारण के मामले में भी अन्तिम निर्णय इन्हीं का होना चाहिए।

(ग) अन्यथा योग्य व्यक्तियों की भाँति इन्हें भी शिक्षा, रोजगार, प्रोन्नति तथा लाभकारी स्कीमों में यथोचित आरक्षण दिया जाना चाहिए।

(घ) इनके लिए खाद्य सुरक्षा स्कीम के लाभ और राशन कार्ड का प्रावधान हो।

(ङ) सार्वजनिक परिवहन में इनके लिए रियायती पास तथा इनके लिए सुरक्षित तथा उत्पीड़नमुक्त स्थल का प्रावधान किया जाना चाहिए।

2. आवास सुविधाः

(क) इन्हें किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएं।

(ख) सरकारी सेवारत उभयलिंगी कर्मचारियों के सरकारी आवास के आवंटन में प्राथमिकता दी जाए।

(ग) घर से निष्कासन या बहिष्करण की समस्या से जूझ रहे उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम तथा विश्रामगृह का प्रावधान किया जाए।

(घ) संकटग्रस्त उभयलिंगी युवाओं के लिए आश्रय स्थलों और सामुदायिक केन्द्रों का प्रावधान किया जाए जो पौष्टिक भोजन और परामर्श प्रदान करते हों।

3. सुग्राहीकरण कार्यक्रमः

इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित पुलिस अधिकारियों, नौकरशाहों, दंडाधिकारियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी तथा गैर-सरकारी संगठनों को इनकी कठिनाइयों तथा समस्याओं के प्रति सुग्राही बनाने के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा इनके प्रति उनके दृष्टिकोण को समुचित रूप से संस्कारित किया जाए ताकि वे उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनें।

4. स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचः

(क) इनके लिए स्वच्छता सुविधाओं, Unisex शौचालयों तथा सुरक्षित पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराना।

(ख) उभयलिंगी समुदाय को सभी एम टी एफ (मेल टू फीमेल) और एफ टी एम (फीमेल टू मेल) पद्धतियों सहित सुरक्षित और निःशुल्क लिंग पुष्टिकरण सर्जरी, परामर्श और हॉर्मोन प्रतिस्थापन उपचार के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सरकारी अस्पताल को सुसज्जित किया जाए।

(ग) निजी अस्पतालों में उभयलिंगी व्यक्तियों से सम्बन्धित लिंग पुनःनियतन सर्जरी (एस आर एस - सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी) पद्धतियों, हॉर्मोन उपचार, लेज़र उपचार, परामर्श और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य मुद्दों का राज्य चिकित्सा बीमा कवर करेगा।

(घ) चिकित्सा बीमा/आरोग्य-श्री कार्ड की व्यवस्था की जाए।

(ड़) सभी स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए अलग से वार्ड सुनिश्चित करना।

5. आर्थिक सहयोगः

(क) सभी उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध कराना।

(ख) इनके पुनर्वास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बजट में सारवान वित्तीय आवंटन करना।

(ग) इनके लिए ऋण सुविधा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सुलभ बनाना।

(घ) आजीविका क्रियाकलापों के लिए स्व-सहायता समूहों का गठन करना।

(ड़) शून्य ब्याज वाली और अन्य सूक्ष्म वित्त (Micro finance) स्कीमों का प्रावधान करना।

6. शिक्षा तक पहुँचः-

(क) उभयलिंगी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान।

(ख) स्कूलों में समावेशी और समान गुणवत्तापरक शिक्षा का प्रावधान, जो समानता और लिंग विविधता के सम्मान को बढ़ावा देती हो।

(ग) शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के विरुद्ध संरक्षण तथा शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान।

(घ) उभयलिंगी व्यक्तियों, जेंडर नॉन कॉनफॉर्मिंग और इन्टर सेक्स बच्चों के लिए आवासीय स्कूलों और विश्वविद्यालयों में आवासयुक्त शिक्षा की सुविधा का प्रावधान।

7. अपराध तथा दंडः-

शारीरिक, लैंगिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक तथा आर्थिक दुरुपयोग के मामले में दंड की अवधि, अपराध की गंभीरता के अनुसार उतनी ही रखी जानी चाहिए जितना महिलाओं के मामले में है।

उपसंहार

अनेक ज्ञात और अज्ञात समर्पित समाज सेवियों और स्वयं सेवा संस्थाओं के अनथक प्रयासों से आज यह अधिनियम एक वास्तविकता बन पाया है। अब यह अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई नियमावली पूरे देश में लागू की जा चुकी है। यह एक बड़ी सामाजिक उपलब्धि है। किन्तु किसी सामाजिक समस्या के पूर्ण समाधान के लिए केवल कानून का बनाया जाना ही पर्याप्त नहीं होता। उस कानून की अन्तर्निहित भावना के अनुरूप उसका सही-सही कार्यान्वयन ही उसकी सफलता की कसौटी होता है। किसी कानून को लागू करते समय ही उसकी खामियों और कमियों का पता चलता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि समय-समय पर उसकी उपलब्धियों और खामियों की समीक्षा की जाए और सुधार के लिए आवश्यकतानुसार निगरानी तंत्र की स्थापना तथा अन्य प्रशासनिक उपाय किए जाएं। इसके अतिरिक्त इसके क्रियान्वयन में समाज का स्वैच्छिक सक्रिय सहयोग और नैतिक समर्थन मिलना भी वांछनीय है।

जब समाज के लोगों के दिल में उभयलिंगी समुदाय के प्रति सच्ची सहानुभूति, प्रेमभाव, नैतिक समर्थन तथा प्रोत्साहन की भावना होगी, तभी यह समुदाय देश और समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर एक सभ्य, शालीन और खुशहाल जीवन बिता सकेगा तथा देश और समाज के विकास में अपना योगदान दे सकेगा।

भारत में साइबर अपराध और सोशल इंजीनियरिंग जागरूकता

डॉ. शंकर सिंह
परामर्शदाता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

भारत में साइबर अपराध

साइबर अपराध का बढ़ता प्रचलन भारत के लोगों, सरकारी अधिकारियों, पत्रकारों, न्यायतंत्रों और उच्च अधिकारियों में चिंता का विषय बनता जा रहा है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 560 मिलियन से अधिक है, जो की पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट और ऑनलाइन मार्किट है और भारत इस मामले में केवल चीन से पीछे है, जिस प्रकार इंटरनेट ने लोगों के जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है ठीक उसी प्रकार इंटरनेट का दुरूपयोग भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और **भारत में साइबर अपराध** की घटनाओं में बड़ा उछाल देखने को मिला है।

कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (**सीइआरटी**)' **के रिपोर्ट की मुताबिक वर्ष** 2019 **में साइबर अपराध के** 394500 **मामले**, **वर्ष** 2020 **में साइबर अपराध के** 1158208 **मामले और जो** 2021 **में बढ़ कर** 1402809 **मामलें हो गए हैं** और यह ऐसे मामलें हैं जिन्हे दर्ज करवाया जाता है लेकिन वही दूसरी ओर कितने ऐसे अनगिनत मामले हैं जो की दर्ज ही नहीं कराये जाते हैं और कोविड महामारी के बाद यह आकड़ें और अधिक हो गए हैं, जिसका मूल कारण है लोगों में इंटरनेट की बढ़ती मांग और जागरूकता की कमी।

साइबर अपराध

इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से जब किसी व्यक्ति, संगठन पर गुप्त रूप से विभिन्न प्रकार के आपराधिक अथवा गलत कार्य किये जातें हैं (चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि), जो की उसकी गोपनीयता के साथ उसके निजी जीवन को भी प्रभावित करता है, उसे हम साइबर अपराध कहतें हैं।

साइबर अपराध में विभिन्न प्रकार की श्रेणियां शामिल होती है

- **मालवेयर->** जब कंप्यूटर में किसी के द्वारा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंटरनेट के जरिये छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कंप्यूटर नेटवर्क की कार्य प्रणाली खराब हो जाती है।
- **स्पाईवेयर->** जब कंप्यूटर या फ़ोन में ऐसे वायरस या सॉफ्टवेयर छोड़ दिए जाते हैं, जो की आपकी सभी निजी जानकारियों और कार्यों को गुप्त रूप से जासूसी करता है।
- **स्पैमिंग->** जब किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा ईमेल के जरिये आपके फ़ोन या कंप्यूटर में कुछ ऐसे सन्देश आते हैं जो आपके जरुरत की नहीं होती है, जिससे आपके फ़ोन और कंप्यूटर में खराबी हो जाती है।
- **हैकिंग->** जब कोई इंटरनेट विशेषज्ञ या हैकर के द्वारा किसी कंप्यूटर को हैक करके अपने नियंत्रण में कर लिया जाता है, जिससे वह कोई भी साइबर अपराध कर सकता है।
- **साइबर फिशिंग->** यह एक प्रकार का ऐसा साइबर हमला होता है, जिसका उपयोग हमलावर लोगों को बरगलाने और गलत काम करने के लिए करते हैं, जैसे; लॉगिन क्रेडेंशियल और क्रेडिट कार्ड नंबर सहित उपयोगकर्ता डेटा चुराने के लिए किया जाता है।
- **सॉफ्टवेयर पाइरेसी->** सॉफ्टवेयर की नकल तैयार करके सस्ते दामों में बेचा जाता है, इससे साफ्टवेयर कम्पनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है साथ ही साथ आपके कीमती उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते हैं और आपके निजी डेटा भी चोरी होने की संभावना होती है।
- **फर्जी बैंक कॉल->** जब किसी व्यक्ति के द्वारा आपके बैंक खाते की निजी जानकारियां प्राप्त करने के लिए फर्जी कॉल किया जाता है, जैसे; ओटीपी के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं।
- **साइबर बुलिंग->** किसी को परेशान करने, धमकाने या डराने के लिए सेल फोन, इंस्टेंट मैसेजिंग, ई-मेल, चैट रूम या सोशल नेटवर्किंग साइटों जैसे फेसबुक और ट्विटर का उपयोग करना साइबर बुलिंग है।

साइबर अपराध के कारण

साइबर अपराध के विभिन्न कारण हो सकतें हैं क्यूंकि जहाँ अच्छाई होता है लोग वहाँ बुराई भी ढूंढ लेते हैं, इसलिए समाज में बढ़ते इस साइबर अपराध को बढ़ावा देने में हमारी भी कहीं-ना-कहीं अहम् भूमिका सामने निकल कर आती है क्योंकि इतने बढ़ते मामलों को भी देख कर हम नहीं सीखतें हैं और इसके शिकार बन जातें हैं, जैसे:-

- **निजी जानकारी को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर साझा करना->** लोग अपनी पल-पल की व्यक्तिगत जानकारियां सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर साझा करतें हैं, जिससे उनकी हर गतिविधियों की जानकारी हैकर्स को प्राप्त होता है और हैकर्स इन नेटवर्किंग एकाउंट्स को आसानी से हैक करके प्राप्त किये गए सूचना का दुरूपयोग करतें हैं।
- **खरीदारी के लिए किसी मॉल या दुकान पर जाते समय**

साइबर अपराध साइबर अपराध साइबर अपराध

फोन नंबर साझा करना–> जब हम किसी भी प्रकार की खरीदी करने किसी माल या दुकान पर जातें हैं तो काउंटर पर हमसे हमारा फ़ोन नंबर या ईमेल बताने को बोला जाता है, जिसे बाद में सरकुलेट किया जाता है जिसका लाभ विभिन्न तरीके से उठाया जाता है इसलिए हमे कहीं भी अपना नंबर और ईमेल साझा करने से बचना चाहिए।

- **हमारे फोन एप्लिकेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को समय पर अपडेट नहीं करना जिसके परिणामस्वरूप लोग साइबर अपराध का शिकार होतें है->** हम अक्सर ऐसी छोटी-छोटी भूल करतें हैं जिसका परिणाम हमे बिना किसी कारण भुगतना पड़ता है, अगर हम हमेशा अपने फ़ोन और कंप्यूटर के एप्लीकेशन को समय पर अपडेट करतें रहतें हैं तो हम साइबर अपराध से बच सकतें हैं।
- **स्पैम संदेशों और कॉलों के बारे में जागरूकता की कमी और कभी-कभी नीले लिंक पर क्लिक करने का परिणाम अजनबियों को सभी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान कर देता है->** लोगों के पास अक्सर ऐसे सन्देश और कॉल आतें हैं जिनका उद्देश्य केवल ठगी और जालसाजी करना होता है लेकिन लोगों को इसके प्रति जानकारी ना होने के कारण इसमें फँस जाते हैं और अपनी सभी निजी जानकारी प्रदान कर देते हैं। इसलिए लोगों को इसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है की वह किसी भी प्रकार के अनजान सन्देश और ब्लू लिंक पर क्लिक ना करें।
- **लॉटरी और अन्य प्रकार के वित्तीय लाभ का झांसा देकर फर्जी कॉल करना->** कभी-कभी इंसान का लालच उसके लिए समस्या का कारण बन जाता है क्योंकि उसे इतना नहीं पता होता है की उसने जब किसी प्रकार की लाटरी में अपना पैसा नहीं लगाया है तो, उसे लाभ कहाँ से प्राप्त हो गया। इसलिए कभी भी किसी प्रकार के अनजान वित्तीय लाभ से बचने की कोशिश करें।

साइबर सुरक्षा कार्यक्रम

- भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (Indian National Security Council)
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति (National Cyber Security Strategy)
- कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (Computer Emergency Response Team CERT-In)
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre- I4C)
- इन सभी साइबर सुरक्षा कार्यक्रमों के अलावा भी सरकार को कुछ छोटी और महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने की आवश्यकता है, जैसे:-
- उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए साइबर अपराध के खतरे की निगरानी के लिए पेशेवर विशेषज्ञों को नियुक्त करें।
- साइबर अपराध की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना क्योंकि जागरूकता फैलाना साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को खत्म करने या रोकने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।
- भारत के हर जिले में डिटेक्शन सेंटर स्थापित करना जो केवल संदिग्ध साइबर क्राइम पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार है और अपराधी को खोजने में भी विशेषज्ञ है।
- हर जिले में साइबर अपराध सहायता केंद्र स्थापित करें जो शहर में साइबर संबंधित अपराध को रोकने के लिए जिम्मेदार है और जनता की सेवा के लिए तत्पर।

- जिस प्रकार इंटरनेट की दुनिया में भारत प्रगति की सीढ़ी चढ़ रहा है ठीक उसी प्रकार से सरकार को भी बढ़ती इस साइबर अपराध से निपटने के लिए उच्च स्तर के तकनीक विकसित करने चाहियें, जो की इसे नियंत्रण करने के साथ इसकी रोकथाम कर सके। साइबर अपराध से निपटने के लिए बहुत से ऐसे पहल है लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार को उसमे बदलाव करने के साथ सुधार करने की जरुरत है।

बर अपराध साइबर अपराध साइबर अपराध साइबर

सोशल इंजीनियरिंग

उपयोगकर्ताओं को धोखा देने और उनकी व्यक्तिगत जानकारी, पैसा, लॉगिन क्रेडेंशियल और बहुत कुछ चुराने के लिए विभिन्न हेरफेर तकनीकों को शामिल किया गया है। सोशल इंजीनियरिंग के मूल में लोगों के अच्छे इरादों और मानवीय दोषों का शोषण करना है, यही कारण है कि एक सफल हमले के लिए मानव मनोविज्ञान की समझ की आवश्यकता होती है। सोशल इंजीनियरिंग हमले लक्ष्यों को धोखा देने के लिए मानवीय संपर्क का उपयोग करते हैं।व्यक्तिगत उपयोगकर्ता और संगठन दोनों ही सोशल इंजीनियरिंग हमलों के लिए आकर्षक लक्ष्य हैं। गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, कंप्यूटर सिस्टम और अन्य मूल्यवान संपत्तियों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए बड़ी कंपनियों और संगठनों के कर्मचारियों को अक्सर सामाजिक इंजीनियरों द्वारा लक्षित किया जाता है। एक भी गलती पूरे संगठन को हमलों का शिकार बना सकती है, इसलिए सुरक्षा के लिए साइबर जागरूकता शिक्षा की आवश्यकता है।

सोशल इंजीनियरिंग एक प्रकार की कला होती है, जिसमे अपराधी लोगों में भरोसा पैदा कर, उन्हें लालच देकर, डरा कर या उनमे जिज्ञासा उत्पन्न कर यानि किसी भी तरह से अपने टारगेट को प्राप्त करना चाहता है। वह टारगेट सामान्य तोर पर लोगों से Fraud करना, उनका गोपनीय डाटा चुराना, उनका पासवर्ड या बैंक से जुड़ी जानकारी निकलवाना या उन्हें ब्लैक मेल करना इत्यादि होता है, यानि कुल मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग में अपराधी का मुख्य टारगेट लोगों को नुकसान पहुँचाना है।

इसके लिए अपराधी हर उस लालच का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों में भरोसा उत्पन्न किया जा सके और फिर धोखे से उनकी जानकारी निकाली जा सके।

कुछ इस प्रकार से निकाली जाती है, यूजर की गोपनीय जानकारी

- सोशल इंजीनियरिंग में कई बार ईमेल भेजते हैं, जो की कुछ इस प्रकार तैयार की जाती है, मानो वह ईमेल आपके किसी जानकर से ही आई हो। इस प्रकार की ईमेल में Malicious Link छुपाए जाते हैं, और हर संभव कोशिश की जाती है, की ईमेल प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करे ताकि उसके कंप्यूटर या सिस्टम पर Malicious स्क्रिप्ट Run हो जाए और अपना काम करना शुरू कर दे। बैंक कर्मचारी बनकर अपने टारगेट को फोन कॉल किया जाता है, और उसे बातों में उलझा कर और भ्रमित कर बहाने से गोपनीय जानकारी जैसे डेबिट कार्ड नंबर, पिन नंबर या पासवर्ड इत्यादि पूछा जाता है। इससे कई लोग बिना सोचे अपनी गोपनीय जानकारी साझा कर देते हैं, और साइबर अपराधी का शिकार बन जाते हैं।
- देखा जाता है, की कई बार इंटरनेट का Use करते समय किसी Movie, Song या Software को डाउनलोड करने के नाम से भी Link दिखाए जाते हैं, लेकिन असल में वह Malicious Link होते हैं।
- कई बार टारगेट को कुछ इस प्रकार की ईमेल भेजी जाती हैं, की मानों वह लाखों रूपया जीत गए हैं, लेकिन पैसा प्राप्त करने के लिए उन्हें पहले एक Form भरने को कहा जाता है, जिसमे उन्हें अपने बैंक अकाउंट की जानकारी भरनी होती है। कई लोग इस प्रकार की ईमेल को सच समझकर फॉर्म भर देते हैं, और बदले में यदि उनके बैंक अकाउंट में कोई पैसे होता है, तो वह भी साइबर अपराधी के पास चला जाता है। इनके अलावा भी सोशल इंजीनियरिंग के ऐसे ढेरों तरीके हैं, जिनसे लोगों को टारगेट किया जाता है, यानि Social Engineering में अपराधी सिर्फ अपनी Technical Skills का ही उपयोग नहीं करते बल्कि इसमें सबसे महत्पूर्ण Human Interaction और Manipulation होता है।

सोशल इंजीनियरिंग कैसे काम करता है

सोशल इंजीनियरिंग आज साइबर अपराधियों का एक सबसे कारगर हथियार बन चुका है, क्योंकि इसमें शामिल किसी भी

सुरक्षा श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी को ही माना जाता है। यानि जितनी चाहे सिस्टम की सुरक्षा बढ़ा लीजिये लेकिन यदि भ्रमित कर दिया जाए या गलती करवा दी जाए तो हर प्रकार की सुरक्षा और यही काम किया जाता है।

निम्नलिखित कदम शामिल होते हैं

Research :- सामान्य रूप से पहला काम अपने टारगेट की अधिक से अधिक जानकारी एकट्ठा करना होता है। वह जानकारी कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, जैसे कंपनी वेबसाइट से, या सीधे बात कर भी।

Planning :- एक बार जब साइबर अपराधी द्वारा अपने टारगेट की जानकारी एकट्ठा कर ली जाती है, तो फिर उसमे कमजोर कड़ियों को ढूंढा जाता है और उसी आधार पर प्लानिंग की जाती है, जैसे तरीका , उसका डिज़ाइन क्या होगा इत्यादि।

Execution :- प्लानिंग करने के बाद अंत में समय आता है, टारगेट पर अटैक करने का। सामान्य तौर पर यह अटैक Email भेज कर, SMS द्वारा या किसी भी Online माध्यम से किया जाता है, या फिर फोन कॉल कर के भी यूजर से छल किया जाता है, उसे भ्रमित किया जाता है, और अपनी पहचान गलत बताकर अपने टारगेट से उसकी Bank Details या Credentials निकलवाने की कोशिश की जाती है।

1. Attachment को कभी भी ना खोलें वह मैलवेयर हो सकता है।

ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी Offer/Prize/Help इत्यादि पर आंख बंद कर भरोसा ना करें क्योंकि वह किसी की एक सोची समझी चाल हो सकती है, जिसे अक्सर लोगों को लालच देकर या उनसे मदद मांगकर Execute किया जाता है।

अक्सर देखा गया है, की साइबर अपराधी हमेशा जल्दबाजी की स्थिति उत्पन्न करते हैं, ताकि उनका Target यानि आम व्यक्ति कुछ सोचने समझने या दिमाग लगाने की स्थिति में ना रहे और यही गलती होने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो हमेशा Panic की स्थिति से बचें और पूरा सोच समझकर और Triple Check कर के ही कोई भी Information शेयर करें। फिर चाहे आप इंटरनेट पर जाकर खुद से उनकी वेबसाइट देखें और किसी दूसरे फोन नंबर पर कॉल कर Double चेक करें या उनसे थोड़ा समय मांगे यह आप पर निर्भर करता है। अपने कंप्यूटर पर उस Antivirus सॉफ्टवेयर को इनस्टॉल करें जिसमे Antispam Antispyware की सुविधा भी हो। यदि आप Network Firewall या Antispam Filter लगाने में समर्थ हैं, तो इससे आपकी Online सुरक्षा काफी हद तक बढ़ जाएगी।

सोशल इंजीनियरिंग हमले का एक समान पैटर्न

अधिकांश सोशल इंजीनियरिंग हमले एक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं:

1. पीड़ित की पहचान कर उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
2. झूठी पहचान और मनगढ़ंत कहानी के तहत पीड़ित के पास जाना।
3. पीड़ित का विश्वास हासिल करने के बाद हमले को अंजाम देना.
4. हमले को ख़त्म करना और उन निशानों को साफ़ करना जिनसे हमलावर को पकड़ा जा सके।

सोशल इंजीनियरिंग हमलों के लक्ष्यों में गोपनीय जानकारी तक पहुंच प्राप्त करना, उपयोगकर्ता को दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों पर निर्देशित करना, पीड़ित को वायरस डाउनलोड करना या हमलावर को पैसे भेजना शामिल है। अपने पीड़ितों से अपनी इच्छानुसार कार्य करवाने के लिए, सोशल इंजीनियर अक्सर दावा करते हैं कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर पीड़ित भरोसा करता है। यह उनका बॉस, कोई सरकारी संस्था या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे पीड़ित वास्तविक जीवन में जानता हो। कुछ सोशल इंजीनियरिंग हमलों का उपयोग किसी भौतिक उपकरण या लक्षित संगठन के परिसर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

अक्सर सामाजिक इंजीनियर तात्कालिकता की भावना पर भरोसा करते हैं, ताकि उनके लक्ष्यों को सोचने का समय न मिले। अपराधी पीड़ित को वैसा करने के लिए धमकी या ब्लैकमेल भी कर सकते हैं जैसा उनसे कहा गया है। सोशल इंजीनियरिंग हमले अक्सर सुनियोजित घोटाले होते हैं। हमलावर पहले संपर्क करने से पहले अपने शिकार के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता है। हमले एक साथ कई पीड़ितों को भी निशाना बना सकते हैं.

चूँकि सभी सोशल इंजीनियरिंग तकनीकें पूर्वानुमानित

तरीके से व्यवहार करने वाले लोगों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, इसलिए सोशल इंजीनियरिंग को मानव हैकिंग के रूप में संदर्भित किया गया है। सही तार खींचकर, ऑनलाइन अपराधी और घोटालेबाज अपने पीड़ितों से ऐसे काम करवा सकते हैं जिन्हें अधिकांश लोग असंभाव्य मानते हैं - जब तक कि वे स्वयं शिकार न बन जाएं।

सोशल इंजीनियरिंग हमलों को कैसे रोकें

क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग मानवीय त्रुटि पर निर्भर करती है, केवल सॉफ़्टवेयर में त्रुटियों को ठीक करके हमलों को रोका नहीं जा सकता है। सौभाग्य से, व्यक्तिगत उपयोगकर्ता और संगठन सोशल इंजीनियरिंग हमले को रोकने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।

अपने खातों की सुरक्षा के लिए बहु-कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करें।

दो-कारक प्रमाणीकरण के साथ लॉग-इन करने में स्वयं को प्रमाणित करने का दूसरा चरण शामिल होता है। केवल अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड डालने के बजाय, आपको किसी अन्य तरीके से भी अपनी पहचान साबित करनी होगी। दो-कारक प्रमाणीकरण के दूसरे चरण में आपके फोन पर एक टेक्स्ट संदेश के साथ भेजा गया एक कोड, उदाहरण के लिए एक व्यक्तिगत प्रश्न, जिसका उत्तर केवल आप दे सकते हैं, आपका फिंगरप्रिंट या एक मोबाइल ऐप शामिल हो सकता है।

दो-कारक प्रमाणीकरण को कभी-कभी दो-चरणीय प्रमाणीकरण, दो-कारक सत्यापन या केवल 2FA भी कहा जाता है। एमएफए या बहु-कारक प्रमाणीकरण शब्द का उपयोग प्रमाणीकरण के उन तरीकों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिनमें दो या अधिक चरण शामिल होते हैं। 2FA और MFA हैकरों के लिए आपके खातों तक पहुंचना और निजी जानकारी चुराना कठिन बनाकर आपकी ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार करते हैं।

दो-कारक उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण कैसे काम करता है?

किसी खाते में लॉग इन करते समय, उपयोगकर्ता की पहचान पारंपरिक रूप से उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड से पुष्टि की जाती है। एक मजबूत पासवर्ड का उपयोग आपको बहुत आगे तक ले जाता है, लेकिन चोरी हो जाने पर एक पासवर्ड भी आपकी सुरक्षा नहीं करता है। लॉगिन क्रेडेंशियल को हैक करने या चुराने के टूल और तरीकों के साथ, पासवर्ड और उपयोगकर्ता नाम अब आपके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

उपयोगकर्ता नाम अक्सर आपका ईमेल पता होता है और यह आमतौर पर सभी को दिखाई देता है। इसलिए इसका अंदाजा लगाना या पता लगाना मुश्किल नहीं है। कई खातों के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग करना अक्सर बहुत आसान होता है या ऐसा पासवर्ड चुनना जो सरल और याद रखने में आसान हो। जब एक ही पासवर्ड का उपयोग एक से अधिक खातों पर किया जाता है, तो अपराधी एक ही समय में कई खातों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मजबूत पासवर्ड बनाने और संग्रहीत करने में सहायता के लिए पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करने पर विचार करें।

दो कारक प्रमाणीकरण के तरीकों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

- **कुछ तो आप जानते हैं .** उदाहरण के लिए, यह पासवर्ड, पिन कोड या किसी व्यक्तिगत प्रश्न का उत्तर हो सकता है।
- **आपके पास कुछ है .** इस मामले में, आपको अपनी पहचान के लिए किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता होगी, जैसे आपका फ़ोन या क्रेडिट कार्ड। बहु-कारक प्रमाणीकरण के लिए भौतिक सुरक्षा कुंजियाँ भी उपयोग की जाती हैं।
- **कुछ तो आप हैं .** बहु-कारक प्रमाणीकरण की यह विधि बहुत सुरक्षित है क्योंकि इसमें कुछ बायोमेट्रिक पैटर्न शामिल होते हैं, जैसे उपयोगकर्ता का चेहरा, फिंगरप्रिंट या आवाज।

अपने उपयोगकर्ताओं के खातों को हैक होने से बचाने के लिए, कई ऑनलाइन सेवाओं और वेबसाइटों ने दो-कारक प्रमाणीकरण को अपनाया है। हालाँकि, कई मामलों में, दो-कारक प्रमाणीकरण डिफ़ॉल्ट रूप से चालू नहीं होता है। इसके बजाय, इसे खाता सेटिंग से मैन्युअल रूप से स्विच करना उपयोगकर्ता पर निर्भर है। प्रत्येक सेवा में 2FA किस प्रकार चालू किया जाता है और व्यवहार में प्रमाणीकरण कैसे

कार्य करता है यह सेवा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, 2FA की आवश्यकता केवल तभी हो सकती है जब किसी नए डिवाइस में लॉग इन किया जाए या हर बार जब उपयोगकर्ता अपने खाते में लॉग इन करने का प्रयास करे।

दो-कारक प्रमाणीकरण का उपयोग

अधिकतम सुरक्षा के लिए, हम यथासंभव अधिक से अधिक उपयोगकर्ता खातों पर दो-कारक

प्रमाणीकरण सक्षम करने की अनुशंसा करते हैं। दुर्भाग्य से, सभी सेवाएँ अभी तक दो-कारक प्रमाणीकरण की पेशकश नहीं करती हैं, इसलिए आपको लॉग इन करने के लिए एक मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करने पर निर्भर रहना होगा।

ऑनलाइन अपराधियों और घोटालेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीके और उपकरण लगातार अधिक सूक्ष्म होते जा रहे हैं। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके अलावा कोई भी आपके खातों में लॉग-इन न कर सके और आपकी बहुमूल्य जानकारी तक नहीं पहुंच सके। हालाँकि दो-कारक प्रमाणीकरण जटिल लग सकता है, यह ऑनलाइन आपकी सुरक्षा में सुधार करने का एक आसान तरीका है। यहां बताया गया है कि 2एफए आपको सुरक्षित रहने में कैसे मदद कर सकता है:

- **खाता अधिग्रहण रोकें** . यदि कोई ऑनलाइन अपराधी आपके खाते में सेंध लगाने में सफल हो जाता है, तो वे क्रेडिट कार्ड की जानकारी जैसी व्यक्तिगत जानकारी चुरा सकते हैं और उनका उपयोग ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए कर सकते हैं।
- **पहचान की चोरी रोकें** . खाता कब्ज़े के अलावा, आपको पहचान की चोरी का शिकार बनने का जोखिम भी हो सकता है। यदि आप समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो परिणाम गंभीर और महंगे हो सकते हैं।
- **अपने नाम पर धोखाधड़ी रोकें** . यदि ऑनलाइन अपराधियों को, उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर आपके खाते तक पहुंच मिल जाती है, तो वे इसका उपयोग आपके नाम पर झूठे संदेश फैलाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जालसाज़ आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कब्ज़ा कर सकता है और आपके फ़ॉलोअर्स को बिटकॉइन बेचने की कोशिश कर सकता है। यही कारण है कि 2FA न केवल आपकी और आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करता है, बल्कि यह दूसरों को भी धोखा देने से रोकता है।
- **अपने खातों का ख्याल रखें** . दो-चरणीय प्रमाणीकरण सक्षम करके, आप अपनी ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में अधिक सावधानी से सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बहुत से लोग कई खातों पर एक ही या दो पासवर्ड का उपयोग करते हैं क्योंकि यह कई मजबूत पासवर्ड याद रखने की तुलना में आसान और अधिक सुविधाजनक है। ऑनलाइन गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण एक प्रभावी तरीका है।

बहु-कारक प्रमाणीकरण विधियाँ

तीन श्रेणियों के आधार पर, बहु-कारक प्रमाणीकरण में कई विधियों का उपयोग किया जाता है।

- व्यक्तिगत प्रश्न . आप एक सुरक्षा प्रश्न सेट कर सकते हैं जिसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि प्रश्न और उत्तर बहुत स्पष्ट और अनुमान लगाने में आसान न हों।
- **एक बार की पुष्टि संख्या** . हर बार जब आप लॉग इन करते हैं तो आपको अपनी पहचान की पुष्टि के लिए एक टेक्स्ट संदेश के रूप में एक पिन कोड प्राप्त होता है।
- **फेस आईडी** . यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप ही लॉग इन कर रहे हैं, डिवाइस को आपका चेहरा अवश्य पढ़ना चाहिए।
- **फ़िंगरप्रिंट** . चूँकि हर किसी की उंगलियों के निशान अलग-अलग होते हैं, आप अपनी पहचान के लिए अपनी उंगली को स्कैन करते हैं। आधुनिक स्मार्टफ़ोन भी इस लॉगिन विधि का समर्थन करते हैं और मोबाइल डिवाइस की टच स्क्रीन के माध्यम से आपके फिंगरप्रिंट को पढ़ सकते हैं।
- **आवाज पहचान** . आपके खाते तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, डिवाइस को पहले आपकी आवाज़ पहचाननी

होगी। कुछ मामलों में आवाज की पहचान को वास्तविक उपयोगकर्ता की आवाज के पूर्व-रिकॉर्ड किए गए नमूनों से धोखा दिया जा सकता है।

- **क्यूआर कोड** . लॉग इन करने के लिए, आपको एक ऐप से एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा।
- **प्रमाणीकरण ऐप** . उदाहरण के लिए, कई बैंक लॉग इन करने के लिए एक अलग प्रमाणीकरण ऐप का उपयोग करते हैं। आपके लॉगिन क्रेडेंशियल डालने के बाद, सेवा आपके मोबाइल डिवाइस पर एक ऐप पर प्रमाणीकरण अनुरोध भेजती है।
- **सुरक्षा कुंजी या टोकन** . भौतिक सुरक्षा कुंजियाँ, जैसे USB, NFE या ब्लूटूथ डिवाइस, आपकी पहचान की पुष्टि करती हैं। आप इन्हें अपने साथ रखते हैं, इसलिए ये तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक कोई इन्हें चुरा न ले।

हैकर्स टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कैसे बायपास कर सकते हैं?

हालाँकि 2FA ऑनलाइन खातों की सुरक्षा में सुधार करता है और आपके खातों में हैकिंग को और अधिक कठिन बना देता है, फिर भी ऑनलाइन अपराधियों के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण को बायपास करने के तरीके मौजूद हैं।

सोशल इंजीनियरिंग में, ऑनलाइन अपराधी लोगों की साइबर सुरक्षा में सबसे कमजोर कड़ियों में से एक का फायदा उठाते हैं: स्वयं पीड़ित। उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील जानकारी चुराने और उनके खातों तक पहुंच हासिल करने के लिए हेरफेर को सोशल इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता है। सोशल इंजीनियरिंग का एक सामान्य तरीका फ़िशिंग है। इसमें लोगों को गोपनीय जानकारी देने या पीड़ित के डिवाइस को मैलवेयर से संक्रमित करने के लिए संदेश और ईमेल शामिल हैं।

दो-कारक प्रमाणीकरण को बायपास करने के लिए, एक ऑनलाइन अपराधी एक विश्वसनीय प्राधिकारी का रूप धारण कर सकता है और यह बहाना बना सकता है कि पीड़ित को अपना सुरक्षा कोड क्यों देना चाहिए। यदि साइबर अपराधी ने पहले ही पीड़ित का उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त कर लिया है, तो वे 2FA कोड का उपयोग करके खाते में सेंध लगाने में सक्षम हैं।

पाशविक बल

साइबर सुरक्षा में, क्रूर बल के हमलों का तात्पर्य किसी खाते में लॉग इन करने के बार-बार प्रयास से है। यह अक्सर किसी प्रकार के सॉफ़्टवेयर के साथ किया जाता है जो किसी खाते के पासवर्ड का अनुमान लगाने का प्रयास करता है। यदि इस बात की कोई सीमा नहीं है कि कोई हमलावर कितनी बार गलत पासवर्ड डाल सकता है, तो देर-सबेर वे कोड को क्रैक कर लेंगे, यदि पासवर्ड पर्याप्त सुरक्षित नहीं है। पासवर्ड जितना लंबा और जटिल होगा, उसे बलपूर्वक तोड़ने में उतना ही अधिक समय लगेगा।

यही बात 2FA कोड पर भी लागू होती है। विशेष रूप से यदि कोड छोटा है, केवल चार से छह संख्याएँ हैं, तो इस विधि का उपयोग करके कोड को क्रैक किया जा सकता है। इसे रोकने के लिए, कोड केवल थोड़े समय के लिए सक्रिय हो सकता है या प्रमाणीकरण केवल कुछ असफल प्रयासों तक सीमित है।

पुन: उपयोग किए गए टोकन

उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण के कई तरीके मौके पर ही प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला टोकन उत्पन्न करते हैं। हालाँकि, कुछ मामलों में, पहले से जेनरेट किए गए टोकन की एक सूची हो सकती है। हैकर को यह जानना होगा कि किस टोकन का उपयोग करना है और वे दो-कारक प्रमाणीकरण को बायपास कर सकते हैं। हालाँकि, हैकर को पहले पीड़ित का उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड भी प्राप्त करना होगा।

मैलवेयर

उदाहरण के लिए, ऑनलाइन अपराधी दो-कारक प्रमाणीकरण को बायपास करने और पीड़ित के ऑनलाइन बैंकिंग खाते तक पहुंचने के लिए मैलवेयर का उपयोग कर सकते हैं। कुछ उन्नत एंड्रॉइड बैंकिंग ट्रोजन वैध बैंकिंग ऐप्स का प्रतिरूपण करने में सक्षम हैं और पीड़ित को अपराधी की पहुंच को प्रमाणित करने

के लिए बरगलाते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के अलावा, इसी तरह के मैलवेयर कई क्रिप्टोकरेंसी सेवाओं को नुकसान पहुंचाते हैं।

पीड़ित की गोपनीयता सेटिंग बदलना

2FA के लिए उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा कोड या टोकन अक्सर उपयोगकर्ता के फ़ोन पर एक टेक्स्ट संदेश के साथ भेजा जाता है। हालाँकि, ऑनलाइन अपराधी प्रमाणीकरण की इस पद्धति का फायदा उठा सकते हैं यदि वे उपयोगकर्ता की सुरक्षा सेटिंग्स को बदलने में सक्षम हैं। हैकर्स उस फ़ोन नंबर को बदल सकते हैं जिस पर सुरक्षा कोड भेजा गया है। खाते के वास्तविक मालिक को प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक सुरक्षा कोड प्राप्त करने के बजाय, कोड अपराधियों को भेजा जाता है जो इसका उपयोग पीड़ित के खाते तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं।

एफसिक्योर टोटल के साथ अपने खातों को सुरक्षित रखें

खाता कब्ज़ा करना दुर्भाग्य से कई ऑनलाइन खतरों में से केवल एक है। इसीलिए आपको मैलवेयर, हैकिंग और अन्य ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए एक उन्नत साइबर सुरक्षा समाधान की आवश्यकता है। एफसिक्योर टोटल न केवल आपके पासवर्ड को प्रबंधित करने और आपकी पहचान खतरे में होने पर आपको चेतावनी देने के टूल के साथ आता है। यह वायरस से बचाव के लिए एक एंटीवायरस प्रोग्राम के साथ-साथ आपकी ऑनलाइन गोपनीयता की सुरक्षा के लिए एक वीपीएन भी प्रदान करता है। एफसिक्योर टोटल निःशुल्क आज़माएं और इंटरनेट पर सुरक्षित रहें।

- संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें या अधूरी फ़ाइलें डाउनलोड न करें।
- संवेदनशील जानकारी देने से पहले प्राप्तकर्ताओं की पहचान सुनिश्चित करें।
- कभी भी दूसरों को अपने उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल, जैसे पासवर्ड या सत्यापन कोड न बताएं।
- यदि आप इसकी उत्पत्ति के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं तो भौतिक मीडिया को अपने डिवाइस से कनेक्ट न करें।
- अप्रत्याशित प्रस्तावों पर संदेह करें, खासकर यदि वे सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हों।
- यदि आपके घर में बच्चे हैं , तो उन्हें साइबर सुरक्षा और इंटरनेट का उपयोग करने की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में शिक्षित करें।
- सोशल मीडिया पर आप जो भी प्रकट करते हैं, उससे सावधान रहें क्योंकि आपके अकाउंट से ऐसी जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिसका उपयोग आपको हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है।
- अपने उपकरणों को विश्वसनीय ऑनलाइन सुरक्षा से सुरक्षित रखें।
- सार्वजनिक वाई-फ़ाई नेटवर्क का उपयोग करते समय सुरक्षित वीपीएन का उपयोग करें।
- नेटवर्क सेटिंग्स में कौन बदलाव कर सकता है या नए एप्लिकेशन इंस्टॉल कर सकता है, इसे सीमित करने के लिए प्रशासन के अधिकारों को प्रतिबंधित करें। यह उपयोगकर्ताओं को घर और बड़े संगठनों दोनों में उपकरणों पर हानिकारक सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल करने से रोकने का एक तरीका है।

सोशल इंजीनियरिंग हमलों के प्रकार

सोशल इंजीनियरिंग रणनीतियाँ अलग-अलग होती हैं और हमलावर के लक्ष्य और लक्ष्यों के आधार पर बनाई जाती हैं। ऑनलाइन अपराधियों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों को समझना सोशल इंजीनियरिंग हमलों को रोकने के मूल में है।

फ़िशिंग

सोशल इंजीनियरिंग हमलों के सबसे आम प्रकारों में से एक फ़िशिंग है जिसमें पीड़ित को व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी देने के लिए धोखा देना शामिल है जिसका साइबर अपराधी द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। इसका लक्ष्य पीड़ित को मैलवेयर से संक्रमित फ़ाइल या सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करवाना भी हो सकता है। हालाँकि फ़िशिंग अक्सर लक्ष्य को ईमेल भेजकर की जाती है, फ़िशिंग हमले को अंजाम देने के अन्य तरीके भी हैं।

- **विशिंग :** विशिंग शब्द वॉयस और फ़िशिंग शब्दों से

बना है । इसलिए, यह लोगों को धोखा देने और बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए फोन कॉल जैसे आवाज-आधारित प्रारूपों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, कई रोमांस घोटाले फ़ोन कॉल के माध्यम से किए जाते हैं। जालसाज़ अपने लक्ष्य के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करके उन्हें फ़ोन पर बहकाता है। वास्तव में, साइबर अपराधी केवल पीड़ित के पैसे के पीछे होता है, जो इसे अपने कल्पित नए प्यार को भेजता है।

- **स्मिशिंग : लोगों को धोखा देने के लिए टेक्स्ट संदेशों और त्वरित संदेश सेवाओं का उपयोग** स्मिशिंग कहा जाता है । चूँकि अधिकांश फोन में इंटरनेट कनेक्शन होता है, एसएमएस के माध्यम से भेजे गए फ़िशिंग संदेशों में ऐसे लिंक हो सकते हैं जो उपयोगकर्ता को दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों पर ले जाते हैं।
- **स्पीयर फ़िशिंग** : सोशल इंजीनियर एक साथ कई पीड़ितों को निशाना बनाकर फ़िशिंग हमले कर सकते हैं। दूसरी ओर, स्पीयर फ़िशिंग एक साइबर हमले को संदर्भित करता है जहां एक विशिष्ट लक्ष्य को चुना जाता है। स्पीयर फ़िशिंग हमलों के पीड़ितों को भेजे गए संदेश अत्यधिक वैयक्तिकृत होते हैं और नियमित सामूहिक फ़िशिंग हमलों की तुलना में उनका पता लगाना कठिन होता है। सीईओ घोटाले स्पीयर फ़िशिंग का एक रूप है जहां हमलावर अपने कर्मचारियों को धोखा देने के लिए किसी कंपनी के सीईओ का रूप धारण करता है। यह पीड़ित का विश्वास हासिल करने के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति के अधिकार का उपयोग करने का एक तरीका है।

बहाना

प्रीटेक्सिंग के रूप में जाने जाने वाले सोशल इंजीनियरिंग हमले में, हमलावर पीड़ित को जानकारी देने या एक निश्चित कार्रवाई करने के लिए धोखा देने के लिए एक स्थिति या बहाना बनाता है। यहां कुंजी एक प्राधिकारी व्यक्ति, पीड़ित के सहकर्मी या किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करना है जिस पर बहानेबाजी का लक्ष्य भरोसा करेगा। एक बार जब अपराधी लक्ष्य का विश्वास स्थापित कर लेता है, तो उनसे संवेदनशील जानकारी प्रकट करने, किसी लिंक पर क्लिक करने या पैसे भेजने की अधिक संभावना होती है। बहानेबाजी में, एक ठोस कहानी बनाना महत्वपूर्ण है ताकि कोई संदेह पैदा न हो।

उत्पीड़न

अक्सर किसी प्रकार का भौतिक मीडिया शामिल होता है जो मैलवेयर से संक्रमित होता है। उदाहरण के लिए, यह एक फ्लैश ड्राइव या सीडी हो सकती है, जिसे अपराधी किसी सार्वजनिक स्थान या लक्षित संगठन के परिसर में छोड़ देता है। यहां सामाजिक इंजीनियर लोगों की जिज्ञासा पर भरोसा करते हैं, जिसे मैलवेयर-संक्रमित भौतिक मीडिया के टुकड़े में एक आकर्षक लोगो या लेबल शामिल करके और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है।

एफसिक्योर टोटल आपकी ऑनलाइन सुरक्षा को सुदृढ़ करता है

भले ही आप विभिन्न सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों के प्रति सावधान और अच्छी तरह से तैयार हों, मैलवेयर और हैकर्स अभी भी आपके और आपके उपकरणों के लिए खतरा पैदा करते हैं। एफसिक्योर टोटल आपको ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करता है। एक उन्नत एंटीवायरस के अलावा, टोटल एक विश्वसनीय वीपीएन प्रदान करता है जो सार्वजनिक रूप से ब्राउज़िंग और आपकी गोपनीयता की सुरक्षा को सरल बनाता है। टोटल आपके पासवर्ड को प्रबंधित करने और ऑनलाइन आपकी पहचान की सुरक्षा के लिए आवश्यक टूल भी लेकर आता है।

किशोर न्याय प्रशासन में पुलिस की भूमिका

श्रीमती सुमिता मुदगल
शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान

'सुरक्षा की प्रथम पंक्ति' के रूप में ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व जिसके ऊपर सुरक्षा व सेवा की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, पुलिस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। सामाजिक कानूनों को दरकिनार करते हुए जब कोई विधि विरुद्ध कार्य किया जाता है तो इसकी रोकथाम के लिए पुलिस महकमा ही सर्वप्रथम आता है। जब ऐसा विधि विरुद्ध कार्य किसी बालक या किसी किशोर द्वारा किया जाता है तो ऐसे मामलों में भी पुलिस प्रणाली अपनी संवेदनशीलता का परिचय देती है। किसी बालक या किशोर द्वारा अपराध कारित किए जाने की स्थिति में उन्हें वयस्कों की भांति दंडात्मक व्यवस्था में न रखकर सुधारात्मक व उपचारात्मक व्यवस्था का वातावरण दिया जाता है ताकि ऐसा संवेदनशील अपरिपक्व व्यक्तित्व नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर अग्रसर होकर समाज की मुख्य धारा में सहज रूप से जुड़ सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति में पुलिस प्रशासन मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें सहजता और सरलता का अनुभव कराता है।

पुलिस व्यवस्था : सामान्य परिचय

अंग्रेजी शब्द 'पुलिस' (police) ग्रीक भाषा के शब्द 'Polis' से बना है जिसका तात्पर्य है- 'रक्षा करने वाला'। इस अर्थ में पुलिस से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसका काम सामान्य व्यक्तियों की जन जीवन की रक्षा करना है यह तभी संभव है जब पुलिस को ऐसे संगठन के रूप में समझा जाए जो राज्य के कानूनों को लागू करने में प्रशासन की सहायता करता है पुलिस प्रशासन अपराध मुक्त समाज के निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत रहता है समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखता है तथा प्राकृतिक व मनुष्य जन्य आपदाओं का सामना करने में आम व्यक्ति की सदैव सहायता करने हेतु तत्पर रहता है।

विभिन्न विधिवेत्ताओं व समाजशास्त्रियों ने पुलिस की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सदरलैंड व क्रेसी के अनुसार, "पुलिस शब्द प्राथमिक रूप से राज्य की उन प्रतिनिधियों की ओर संकेत करता है जिसका कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना एवं देश की नियमित आपराधिक संहिता को लागू करना है।" इस अर्थ में राज्य के एक प्रतिनिधि के रूप में पुलिस समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आपराधिक संहिता के क्रियान्वयन में प्रशासन व सरकारी विभागों की सहायता करता है। एन.बी.परांजपे के अनुसार, "पुलिस आपराधिक न्याय व्यवस्था से संबंधित एक ऐसा तंत्र है जिसका कार्य लोगों के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना तथा उन्हें हिंसा ,उत्पीड़न ,शोषण तथा अव्यवस्था से बचाना है। "अर्थात् प्राथमिक संगठन के रूप में पुलिस कानून व्यवस्था द्वारा सामाजिक शांति व समाज की सुरक्षा हेतू प्रतिबद्ध हैं। पुलिस आपराधिक न्याय व्यवस्था की धुरी है जिसके बिना न्यायालय और प्रशासन अपंग है।

किशोर न्याय प्रशासन एवं पुलिस

बच्चे देश के भविष्य के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। भारत में किशोर न्याय प्रणाली बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ विश्व नागरिक द्वारा अपनाई गई सबसे प्रगतिशील और प्रबुद्ध प्रणाली है। किशोर न्याय प्रणाली न्याय के आपराधिक कानून प्रशासन के क्षेत्र में आने वाले एक प्रणाली है जिसका तात्पर्य बच्चों और समाज से संबंधित समस्या से निपटने की प्रक्रिया है। भारत में किशोर न्याय प्रणाली उन बच्चों से संबंधित है जिन्होंने किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन किया है और जिन्हें देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता है। किशोर से तात्पर्य, ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, से है। भारत में डोली इनकैप एक्स (Doli incapax) के सिद्धान्त को लागू किया जाता है जिसका तात्पर्य है अपराध करने में असमर्थ व्यक्ति। इसीलिए भारतीय दंड संहिता ,1860 की धारा 82 में 7 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं माना हैं। NCRB के अनुसार 2021 में किशोरों के विरुद्ध कुल 31170 मामले दर्ज किए गए जो 2020 की तुलना में 4% की वृद्धि को दर्शाता है। जब मामलों की संख्या 29768 थी। उनमें से अधिकांश 76.2% 16 से 18 आयु वर्ग में थे।

किसी भी बालक की संज्ञानात्मक क्षमता उसके परिवेश से प्रभावित होती है। बालकों को तथा किशोरों की अबोधता, मानसिक व बौद्धिक अपरिपक्वता और व्यवहारिक अनुभवहीनता के कारण से ही किशोर अपराधियों के लिए पृथक दंड प्रक्रिया अपनाते हुए उनका सुधारात्मक एवम पुनर्वास किया जाता है इसीलिए उनके लिए पृथक विधान की रचना की गई। स्वतंत्र भारत में बालकों, किशोरों और विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए पृथक कानून बनाए जाने की शुरुआत बाल अधिनियम, 1960 से हुई इस अधिनियम में एकरूपता लाने हेतु किशोर न्याय अधिनियम 1986 लागू किया गया। 1986 से वर्तमान समय तक इस अधिनियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विचारधारा के विकास, राष्ट्रीय परिस्थितियों की मांग तथा इनके प्रशासन एवं क्रियान्वयन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के कारण इसमें अनेक संशोधन किए गए। इन संशोधनों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2000 ,किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 के रूप में जाना जाता है। उक्त अधिनियम में किशोरों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहली श्रेणी में, कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों को तथा दूसरी श्रेणी में देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले किशोरों को रखा गया है। इन श्रेणियों के बालकों से संव्यवहार करते समय किशोर न्याय अधिनियम में विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन का प्रावधान है।

विशेष किशोर पुलिस इकाई : संरचना व भूमिका

किशोर न्याय अधिनियम के तहत बालकों से संव्यवहार करने के लिए धारा 2(55) व धारा 107 के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन का प्रावधान है। ऐसी इकाई राज्य के प्रत्येक जिले या शहर में प्रतिस्थापित की जाएगी इसका मुखिया पुलिस उप अधीक्षक या उच्च पद का पुलिस अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त इस इकाई में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस उपनिरीक्षक या उससे उच्च पद का पद आसीन पुलिस अधिकारी होगा जो प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर बालकों के संबंध में उचित कार्रवाई करेगा। विशेष किशोर पुलिस इकाई में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त 2 सामाजिक कार्यकर्ता (एक महिला) शामिल होंगे जिन्हें बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराने का कार्य समेकित बाल संरक्षक समिति द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जिला बाल संरक्षण इकाई सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने में आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यूनिसेफ (UNICEF) के अनुसार विशेष किशोर पुलिस इकाई के सभी अधिकारियों को प्रवेश के समय आवश्यक विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए ताकि बालकों से संव्यवहार करते समय और अधिक प्रभावशाली तरीके से अपने कार्यों को संपादित कर सके। विशेष किशोर पुलिस इकाई में रेलवे पुलिस भी शामिल है।

(A) कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में पुलिस की भूमिका

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 (13) के अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से अभिप्राय ऐसे बालक से है जिसका अपराध कारित करना अभिकथित है और

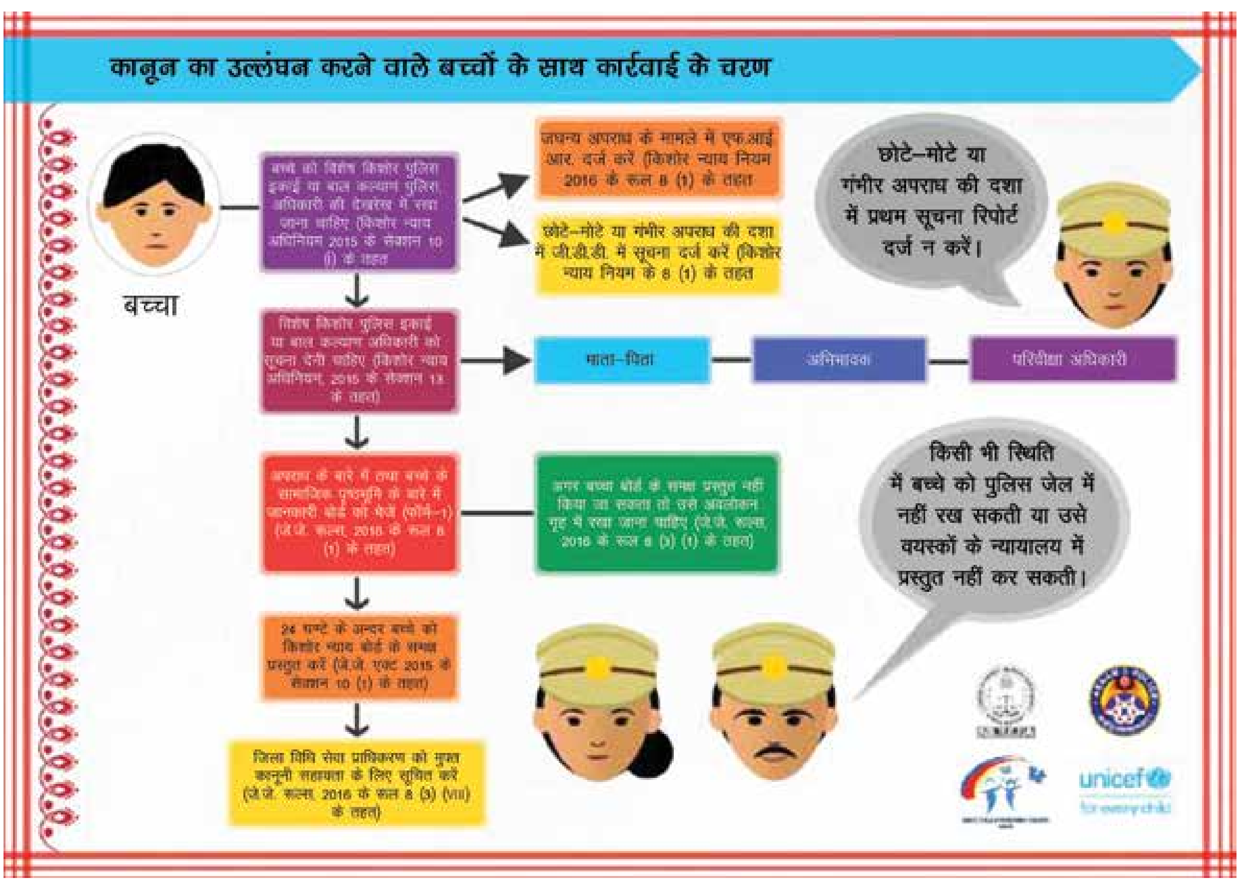

Source: (UNICEF)

जिसने अपराध कार्य किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है ऐसे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में संव्यवहार करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है

1. कानून का उल्लंघन करने का आरोपित बालक जैसे ही पुलिस हिरासत में लिया जाता है तो उसे शीघ्रतम विशेष किशोर पुलिस इकाई या पदस्थ बालकल्याण पुलिस अधिकारी को सुपुर्द किया जाता है जो ऐसे विधि विरुद्ध किशोर को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यदि किसी कारणवश बोर्ड के समक्ष उपस्थित करना संभव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे आरोपित बालक या किशोर को तत्काल राज्य सरकार द्वारा स्थापित अवलोकन गृह में या समुचित सुविधा स्थल में रखा जाएगा तत्पश्चात 24 घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।
2. किसी भी मामले में ऐसे तथाकथित आरोपी बालक को-
   - पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं रखा जाएगा,
   - हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी और

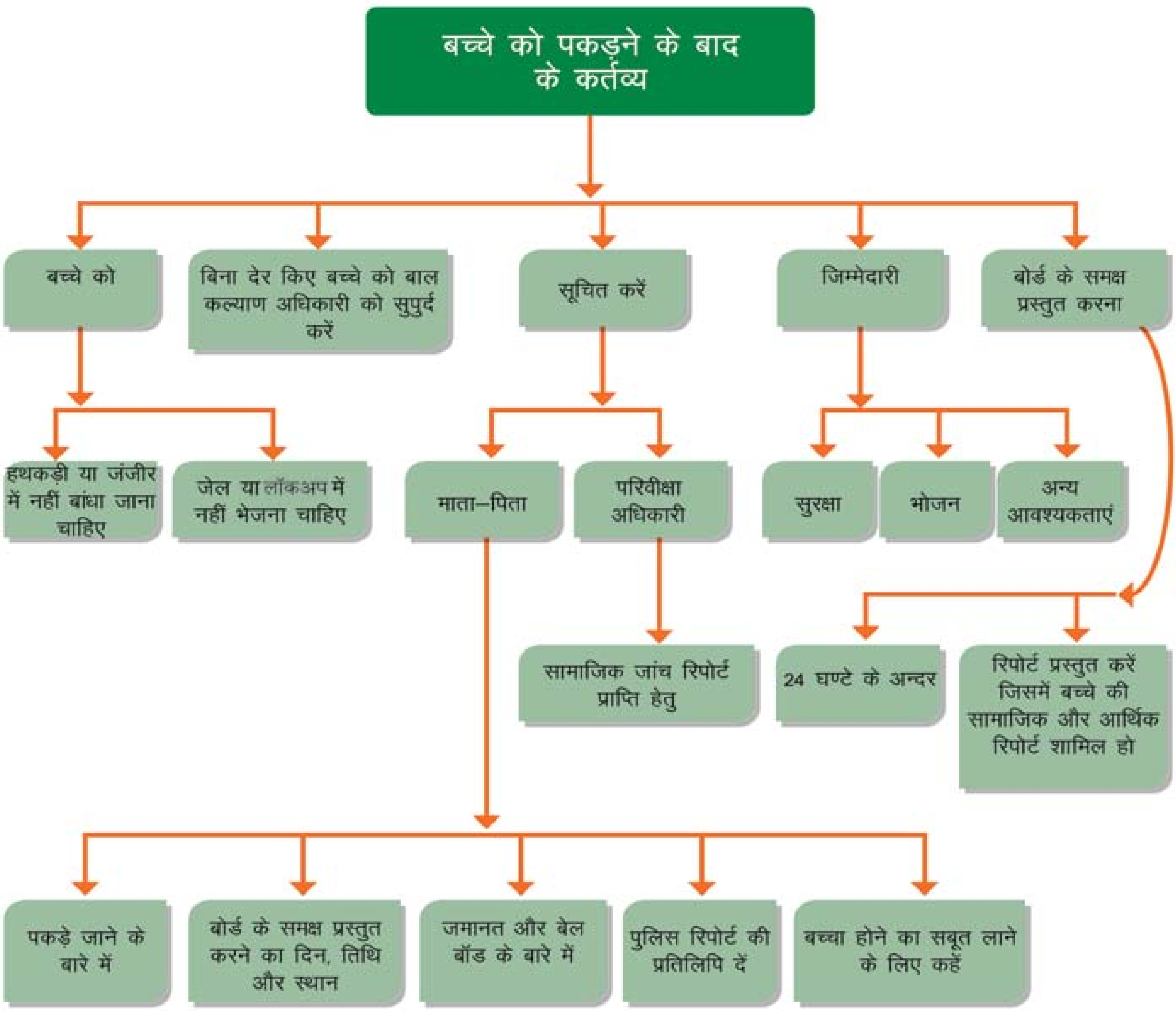

स्त्रोतः लीगल एड फोरम, दिल्ली

- वयस्क अपराधियों के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा।

3. जमानती या गैर जमानती अपराध की स्थिति में बालक को पुलिस अधिकारी द्वारा सशर्त या शर्त रहित रिहा किया जाता है या परिवीक्षा अधिकारी या उपयुक्त व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रखा जाता है। जमानत पर रिहा न करने की स्थिति में ऐसे बालक को अवलोकन गृह में रखा जाता है।
4. ऐसी आरोपित बालक के संबंध में संव्यवहार करने वाला बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई अति शीघ्र निम्न को सूचित करता है
   - बालक के माता-पिता या अभिभावक को (बोर्ड के समक्ष नियत दिन व नियत समय पर उपस्थिति का निर्देश पत्र भी),
   - परिवीक्षा अधिकारी (सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करने बाबत) तथा
   - बालक को निशुल्क विधिक सहायता हेतु जिला विधिक प्राधिकरण को
5. 16 वर्ष के किशोर द्वारा कारित जघन्य अपराध (7 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराध) की स्थिति में पुलिस अधिकारी द्वारा प्राप्त साक्ष्य संबंधी रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष एक माह में प्रस्तुत की जाती है जिसकी एक प्रति बालक या उसके माता-पिता या उसके अभिभावक को दी जाती है। अन्य मामलों में (7 वर्ष की कम की सजा वाले अपराधों में) पुलिस द्वारा तैयार अंतिम रिपोर्ट (FR) बोर्ड के समक्ष अधिकतम 2 माह में प्रस्तुत की जा सकेगी। जघन्य अपराध की स्थिति में पुलिस अधिकारी द्वारा FIR दर्ज की जा सकेगी जिसकी एक प्रति बालक/माता-पिता/अभिभावक को दी जाएगी
6. बालकों के मामले में पुलिस अधिकारी को बालमित्र दृष्टिकोण अपनाते हुए आवश्यक चिकित्सकीय सहायता दुभाषिए या अन्य कोई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।
7. माता-पिता या अभिभावक की उपस्थिति में बालक द्वारा अपराध संस्वीकरण में अपेक्षित दबाव नहीं बनाया जाता है और किसी भी प्रकार के बालक के बयान पर हस्ताक्षर नहीं लिए जाते हैं।

चित्रः विशेष किशोर पुलिस इकाई की संबंधता

source: module 3 (UNICEF)

8. किशोर अपराधी द्वारा ऐसे विशेष गृह, अवलोकन गृह या सुरक्षा स्थल से भागने की स्थिति में ऐसे बच्चे का प्रभार कोई भी पुलिस अधिकारी ले सकेगा जो उसे 24 घंटे के भीतर मूल आदेश पारित करने वाले किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष या नजदीकी बोर्ड के समक्ष जिसके क्षेत्राधिकार में किशोर अपराधी पाया जाए, प्रस्तुत कर सकेगा।

(B) देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में पुलिस की भूमिका

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 में धारा 2(14) में विभिन्न श्रेणियों के बालकों को देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की कोटि में रखा है जैसे परित्यक्त बालक, भीख मांगता बालक, अनाथ, मानसिक व शारीरिक रूप से दिव्यांग, अनुपयुक्त माता-पिता, घर से भगोड़ा बालक, शारीरिक या मानसिक क्रूरता का शिकार बालक आदि ऐसे बालकों के संबंध में सम व्यवहार करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है :

1. देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले उक्त श्रेणी के किसी भी बालक के पुलिस अधिकारी के संपर्क में आने पर वह उस बालक के प्रति मित्रव्रत व्यवहार रखते हुए सर्वप्रथम उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता

है। यह आवश्यकतायें बालक की आयु, लिंग, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है।

2. किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के शिकार बालक की स्थिति में पुलिस अधिकारी किसी गैर सरकारी संस्था की सहायता से वार्तालाप करना प्रारंभ करता है ताकि वह सहज होकर अपनी बात कह सके। सभी मामलों में पुलिस अधिकारी द्वारा दैनिक डायरी में उल्लेख किया जाता हैं।
3. बालक का सर्वोत्तम हित व कल्याण प्राथमिक है इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारी द्वारा मामले के अनुसार 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति को सूचित किया जाता है ताकि वह आवश्यक कार्यवाही कर सके। पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार आपातकालीन चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाती है।
4. पुलिस द्वारा निर्मित परिस्थिति रिपोर्ट भी बालक के साथ-साथ बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत की जाती है। बाल कल्याण समिति बच्चे की देखरेख, संरक्षण, विकास व पुनर्वास के साथ-साथ बालक की मूल आवश्यकता तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों का अंतिम निर्णायक होती है।
5. बालक की सर्वोत्तम हित में पुलिस द्वारा विभिन्न हित धारकों जैसे बाल कल्याण समिति, समाज कल्याण विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, श्रम विभाग चाइल्डलाइन, गैर सरकारी संस्थाएं, अस्पताल, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, विशेष शिक्षक, परामर्शदाता आदि के साथ समुचित समन्वय बनाया जाता है ताकि बालक की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।

विशेष किशोर पुलिस इकाई की किशोर न्याय कानून के अधीन स्थापित विभिन्न संस्थाओं के साथ संबंधता होती है जो बालकों के संबंध में कार्रवाई करते समय विशेष किशोर पुलिस इकाई को सहयोग व समन्वय प्रदान करती है। यह संस्थाएं निम्न है :

- किशोर न्याय बोर्ड,
- गैर सरकारी संस्थाएं,
- जिला बाल संरक्षण इकाई,
- बाल कल्याण समिति,
- बाल कल्याण अधिकारी,
- परिवीक्षा अधिकारी (बाल देखरेख संस्थान),

केंद्र सरकार, राज्य सरकार व किशोर न्याय प्रशासन के अधीन गठित सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का अनुपालन करना होता है जो किशोर न्याय प्रशासन के आधार तत्व हैं ये इस प्रकार हैं :

- निर्दोषिता की उप धारणा
- गरिमा व स्वाभिमान
- सर्वोत्तम हित व कल्याण
- सुने जाने का अधिकार
- सुरक्षा का तत्व
- सकारात्मक उपाय
- गैर कलंककारी अर्थ विज्ञान
- अधिकारों का अधित्यजन न करना
- समानता व भेदभाव ना करना
- निजता व गोपनीयता
- संस्थाकरण - एक अंतिम विकल्प
- प्रत्यावर्तन व पुनरुद्धार
- नव प्रारंभ एवं
- नैसर्गिक न्याय।

निष्कर्ष

न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी पुलिस प्रणाली को आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रवेश द्वार कहा जाता है क्योंकि वह अपराधियों के संपर्क में सर्वप्रथम आते हैं। बाल अपराधियों के संबंध में पुलिस प्रणाली बालमित्र दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किशोर न्याय कानून के अधीन किशोरों से करने हेतु प्रावधानित विशेष किशोर पुलिस इकाई सरकार के साथ-साथ विभिन्न संस्थाओं के साथ भी मुख्य सहयोगकर्ता व समन्वयकर्ता की भूमिका अदा करता है। पुलिस महकमा राज्य का मुख्य संरक्षक व मार्गदर्शक भी है। इस संबंध में पुलिस की भूमिका का चित्रण करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि – "पुलिस सही व गलत के चौराहे पर खड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जिसका दायित्व सही की रक्षा करना व गलत को पकड़ना है। अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वह अपने आप में एक

संरक्षक, मार्गदर्शक, एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा व्यवस्था और अधिकार का प्रतीक है।"

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारतीय दंड संहिता, 1860
2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015
3. मूल प्रश्न पत्रिका, अक्टूबर - दिसंबर, 2021
4. पुलिस विज्ञान, जुलाई - सितंबर 2007
5. Module 3, UNICEF
6. www.legalserviceindia.com
7. www.ncrb.gov.in
8. www.kanoonmite.com

महिलाओं के विरूद्ध अपराध एवं पुलिस की भूमिका

श्री राजीव कुमार
मुख्य प्रबंधक-राजभाषा, बैंक ऑफ़ इंडिया, नागपुर

भारत एक विविध संस्कृति वाला देश है। इसमें विभिन्न प्रकार के भाषाओं, धर्मों, जातियों, संप्रदायों आदि के लोग बहुत ही प्रेम से रहते हैं। यही कारण है कि भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। दुनिया में भारत को अत्यन्त शांति प्रिय देश माना जाता है। शायद यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश देश भारत के साथ अपने राजनीतिक एवं व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे रखना चाहते हैं। लेकिन आज के बढ़ते भौतिकवाद का हमारे देश पर भी बहुत अधिक असर पड़ा है। हमारे देश के लोग भी अन्य देशों के लोगों के समान भौतिकवाद के पीछे दौड़ रहे हैं। इससे कहीं न कहीं आपसी संबंध एवं समन्वय छूटते जा रहे हैं। देश में प्रेम, त्याग एवं सहयोग की भावना का स्थान धीरे धीरे पैसे ने ले ली है। तथापि, अभी भी भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों की स्थिति दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी अच्छी है। इस सब ने हमारे देश के सभी नागरिकों को प्रभावित किया है। दुनिया में अच्छाई के साथ बुराई भी हमेशा से रही है। जब भी बुराई का ग्राफ बढ़ जाता है तो उसे ईश्वरीय शक्ति स्वयं खत्म करने आती है। श्रीमदभगवत गीता में लिखा है कि - यदा यदा हि धर्मस्य गलानिर्भवति भारत:, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर पाप, अनाचार, अत्याचार, अधर्म बढ़ते हैं, ईश्वर का अवतार होता है। ईश्वर तो पापियों को सजा देते ही हैं किन्तु इस आधुनिक समाज में अपराधों पर

रोकथाम के लिए पुलिस की भी व्यवस्था की गई है जो कि अपने तरीके से अपराधों पर नियंत्रण करती है।

बहुत से लोग अपने जीवन यापान के लिए ईमानदारी का सहारा लेते हैं किन्तु कुछ लोग अपराध का रास्ता भी चुन लेते हैं जिससे वे अपने शौक को पूरा कर सके। समाज में चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, अपहरण, मादक पदार्थों की तस्करी, बलात्कार आदि विभिन्न प्रकार के अपराध करने वाले लोग महिलाओं आदि को भी नहीं छोड़ते हैं। संस्कृति एवं सभ्यता का दूसरा नाम नारी है। यदि वे हमारे बीच में नहीं हों तो हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का पतन अवश्यम्भावी है। महिलाओं को वर्ष भर चलने वाले विभिन्न त्यौहारों की पूरी जानकारी रहती है, चाहे वह होली, पोंगल, लोहड़ी, दीपावली हो या ईद, क्रिसमस-डे, गौतम बुद्ध जयंती, महावीर जयंती इत्यादि ही। हमारे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में महिलाओं का विशेष योगदान है। प्राचीन समय में पुरुष घर से बाहर के कार्य किया करते थे जबकि महिलाएं घर के सभी काम जैसे साफ-सफाई, खाना बनाना इत्यादि किया करती थी। हमारे प्राचीन वेदों, पुराणों, उपनिषदों इत्यादि में महिलाओं का सम्मान किया गया है। किन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि महाभारत एवं रामायण में क्रमश: दुष्शासन, दुर्योधन तथा रावण जैसे क्रूर लोग भी हुए हैं जिन्होंने नारियों पर अनेक तरह के अत्याचार किए हैं। जहां तक महिलाओं पर किए जाने वाले अपराधों का सवाल है तो पुराने समय में भी अपराध हुआ करते थे और आज भी हो रहे हैं। अच्छाई और बुराई दोनों में हमेशा ही एक द्वन्द्ध चलता रहा है और अंत में हमेशा विजय सत्य की ही हुई है। मुंडका उपनिषद में स्पष्ट रूप में लिखा गया है, **सत्यमेव जयते** और यही भारत की असली संस्कृति है।

पिछले कुछ समय में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा उनका निराकरण भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। एक ऐसे देश में जहॉं स्त्री को मातृशक्ति के रूप में पूजनीय माना जाता है, हमारे देश भारत में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि- यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, वसंते तत्र देवता:, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, सर्वास्तत्राफला: क्रिया:। हमारे देश की यही संस्कृति रही है कि स्त्रियों का पूरा मान-सम्मान हो। इस श्लोक का अर्थ यही है कि जहां स्त्रियों का मान सम्मान होता है, उनकी इज्जत होती है, वहां देवताओं का वास होता है, अर्थात् वहां सदगुणों के माध्यम से उन्नति एवं प्रगति होती है, और जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, उनका तिरस्कार होता है, वहां सभी प्रकार के किए गए कर्म निष्फल हो जाते हैं। स्त्रियॉं की भी समाज का केंद्र बिन्दु मानी जाती हैं। बिना स्त्रियों के समाज की कल्पना करना बेमानी है।

आजकल महिलाओं के विरूद्ध तरह-तरह के अपराध घटित हो रहे हैं। इन अपराधों के बहुत से कारण हैं। इन अपराधों को रोकने के लिए अनेक उपाय किए जाने चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आज विश्व में सबसे तेज गति की बढ़ती देश की अर्थव्यवस्था दुनिया को अपनी ओर देखने के लिए मजबूर कर रही है किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि देश में नये नये अपराधों में दिन प्रतिदिन काफी बढ़ोत्तरी हो रही है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहॉं अपराधों में कमी आयी है। किसी राज्य या शासन के नेतृत्व पर भी यह काफी हद तक निर्भर करता है कि वहॉं की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त रखा जाए और अपराधियों पर पूरी तरह से नकेल कसी जाए। महिलाओं के संबंध में हुए अपराधों के बारे में कुछ तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है।

महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराध संबंधी आंकड़े :

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर प्रकाश डालते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार वर्ष 2021 में महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराध के कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं –

क्र. सं.	राज्य का नाम	2021 में महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराध	महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराध की दर
1	आंध्र प्रदेश	17752	67.2
2	अरुणाचल प्रदेश	366	49.1
3	असम	29046	168.3
4	बिहार	17950	30.2
5	छत्तीसगढ़	7344	49.8
6	गोवा	224	28.9

क्र. सं.	राज्य का नाम	2021 में महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराध	महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराध की दर
7	गुजरात	7348	22.1
8	हरियाणा	16658	119.7
9	हिमाचल प्रदेश	1599	43.8
10	झारखंड	8110	43.0
11	कर्नाटक	14468	43.8
12	केरल	13539	73.3
13	मध्य प्रदेश	30673	74.7
14	महाराष्ट्र	39526	66.0
15	मणिपुर	302	19.1
16	मेघालय	685	41.7
17	मिजोरम	176	29.1
18	नागालैंड	54	5.1
19	उडीसा	31352	137.8
20	पंजाब	5662	39.2
21	राजस्थान	40738	105.4
22	सिक्किम	130	40.6
23	तमिलनाडू	8501	22.2
24	तेलंगाना	20865	111.2
25	त्रिपुरा	907	40.2
26	उत्तर प्रदेश	56083	50.5
27	उत्तराखंड	3431	61.5
28	पश्चिम बंगाल	35884	74.6
संघ राज्य क्षेत्र			
1	अंडमान निकोबार दीप समूह	169	89.4
2	चंडीगढ़	343	61.7
3	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	99	25.3
4	दिल्ली	14277	147.6
5	जम्मू एवं कश्मीर	3937	61.6
6	लद्दाख	18	13.8
7	लक्षद्वीप	9	27.3
8	पुडुचेरी	153	18.5
	कुल	**428278**	**64.5**

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के विरूद्ध कुल 4,26,278 मामले दर्ज किए गए थे जिनमें 2020 के मामलों (3,71,503) के मुकाबले 15.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई थी। जबकि एनसीआरबी द्वारा वर्ष 2018 में महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराधों में वर्ष 2019 में 7.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी। वर्ष 2018 में महिलाओं की प्रति लाख संख्या पर यह संख्या 58.8 थी जो कि वर्ष 2019 में प्रति लाख पर यह संख्या 62.4 हो गयी थी। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में घरेलू हिंसा का भाग लगभग 32 प्रतिशत रहा। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अंतर्गत दर्ज महिला मामलों में उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता होती है। वर्ष 2021 में प्रति लाख महिलाओं पर दर्ज किए गए अपराध 64.5 रहे जबकि यह आंकड़ा वर्ष 2020 में 56.5 प्रतिशत था। महिलाओं के विरूद्ध अपराध के कुल 4,26,278 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रति लाख संख्या में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की सर्वाधिक संख्या असम में दर्ज की गई। देश में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की संख्या में उत्तर प्रदेश में 56083 मामले रहे जो कि 50.5 प्रतिशत है। असम के बाद उड़ीसा, हरियाणा और राजस्थान का स्थान आता है। यौन शोषण के मामलों में आरोपियों के दोषी सिद्ध होने के मामले लगभग 22 से 31 प्रतिशत ही हैं अर्थात् ज्यादातर मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य एवं गवाहों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। महिलाओं के विरूद्ध जो अपराध किए जाते हैं उनमें दुष्कर्म, अपहरण, उत्पीड़न, वेश्यावृत्ति, ऐसिड अटैक, देह व्यापार, दहेज मृत्यु, आदि प्रमुख हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं के विरूद्ध अपराध करने वाले लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है किन्तु फिर भी महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में काफी वृद्धि हो रही है जो कि किसी भी सभ्य समाज के लिए किसी भी स्थिति में मान्य नहीं हो सकती है।

महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के महत्वपूर्ण कारण :

भारत में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन अत्यन्त तेज गति से हो रहे हैं। समाज में अच्छे विकास एवं 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से हमें लोगों में नैतिक गुणों का भी विकास करना होगा। ये नैतिक गुण केवल अच्छी शिक्षा से ही संभव हैं। हालांकि, नई शिक्षा नीति 2020 को काफी अच्छा माना जा रहा है और इसमें विशेष रूप से बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षित करने पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। मातृभाषा में पढ़ने से बच्चों का

विकास बहुत अच्छी तरह से होता है जो कि नैतिक शिक्षा द्वारा संस्कारों के निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। हमारे देश में महिलाओं पर बढते अपराधों के लिए कहीं न कहीं हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं –

1. **पुरुष मानसिकता** : भारत एक पुरुष प्रधान समाज है। पुरुषों की सोच एवं उनकी मानसिकता उतनी खुलेपन वाली नहीं है जहां महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर माना जाए। हमारे देश में 21वीं शदी में भी महिलाएं पिछड़ेपन की शिकार हैं। पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी ही होगी क्योंकि बिना मानसिकता बदले पुरुष महिलाओं का निंरतर शोषण करते रहेंगे। आज ज्यादातर विज्ञापनों में खूबसूरत युवतियों या महिलाओं को ही विज्ञापन करते हुए दिखाया जाता है जो कि पुरुष मानसिकता को ही दर्शाता है। इस मानसिकता को बदलने की बहुत आवश्यकता है।
2. **शिक्षा का अभाव** : हमारे समाज में पहले तो बालिकाओं को पढ़ाया ही नहीं जाता था, जबकि अब कुछ बदलाव देखने में आ रहे हैं कि बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है जिससे वे सही समय पर शादी करके, एक अच्छी महिला की भूमिका निभा सके। इससे अवश्य ही महिलाओं में आत्मसम्मान की बढ़ोत्तरी होगी और वे सही तथा गलत में अंतर कर सकेंगी। इसके साथ ही, पढ़ लिखकर महिलाएं बड़ी अधिकारी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि भी बन जाती हैं। ऐसी महिलाएं जल्दी लोगों के बहकावे में नहीं आएंगी और इस प्रकार, इन महिलाओं के विरूद्ध अपराध करने वालों को कई बार सोचना होगा।
3. **स्वास्थ्य जागरूता** : देश में आज भी ज्यादातर महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं है अथवा बहुत ही कम है। कभी कभी कुछ महिलाएं भिन्न प्रकार की बीमारियॉं होने पर भगतों, मौलवियों इत्यादि के चक्कर में आकर उनका शिकार बन जाती हैं जिससे वे लोग उनके विरूद्ध यौन शोषण इत्यादि जैसी घटनाएं करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। अब समय आ गया है कि स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करके महिलाओं को जागरूक किया जाए।
4. **गरीबी एवं लाचारी** : मनुष्य की गरीबी एवं लाचारी उससे बहुत कुछ गलत कार्य करवाने को मजबूर करती है। कुछ गलत प्रवृत्ति वाले लोग इसका अनुचित लाभ उठाकर गरीब व लाचार महिलाओं का यौन शोषण तक करते हैं और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। बहुत-से दबंग लोगों द्वारा दलितों एवं गरीब महिलाओं पर अत्याचार किए जाते हैं। पुराने समय में जमीदारों, साहूकारों आदि द्वारा भी गरीब एवं लाचार महिलाओं का शोषण किया जाता था। इसका एक जीवंत उदाहरण फिल्म 'मदर इंडिया' में सहज ही देखने को मिलता है।
5. **महिला अश्लीलता** : आज की भोगवादी संस्कृति ने महिला को एक वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया है जबकि हमारे देश में महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त है। हमारे देश में नारीशक्ति को पूजनीय माना जाता है। नव रात्रि में तो विशेष रूप से बालिकाओं की पूजा की जाती है। इंटरनेट पर महिलाओं से संबंधित अश्लील तस्वीरें, कहानियां आदि पर सहज रूप में उपलब्ध हैं जिसे लाखों लोग विशेष रूप से युवा देखते और पढ़ते हैं। इससे महिलाओं एवं बच्चियों के प्रति उनकी मानसिकता दूषित हो जाती है। अश्लील सामग्री को तो तत्काल बैन करने की आवश्यकता है ताकि युवाओं आदि में अच्छे संस्कार निर्मित हो सकें। ये ही लोग मौका पाकर किसी बच्ची या महिला को अपना शिकार (बलात्कार आदि हेतु) बना लेते हैं। कभी-कभी अपनी पहचान छिपाने के लिए वे महिलाओं की हत्या तक कर देते हैं।
6. **नैतिक शिक्षा एवं संस्कारों में कमी** : महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों का एक कारण हमारी नैतिक शिक्षा का गिरता स्तर भी है। आज हर जगह आपको शिक्षा का व्यावसायीकरण ही दिखाई देता है और स्कूलों इत्यादि में वह शिक्षा नहीं दी जाती है जो कि नैतिकता को पोषित करे, उसे बढ़ाए। हमें अपने स्कूलों इत्यादि में पुराने सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करना होगा। भारत को अच्छा देश बनाना है तो हमें नैतिक शिक्षा पर बहुत अधिक जोर देना ही होगा। **आचार्य चाणक्य ने कहा था कि 15 वर्ष की आयु तक के बच्चे को जो सीखाया जाता है, वही उसके संस्कार बनते हैं और जीवन भर वह उन्हें संजोकर रखता है** तथा उनके अनुसार ही अपना जीवन जीता है।

एक अच्छे समाज का निर्माण निसंदेह नैतिक शिक्षा तथा अच्छे संस्कारों के बिना संभव नहीं है।

7. **संसद व विधान मंडल आदि में महिलाएं** : संसद व विधानमंडलों में महिलाओं की संख्या अभी भी काफी कम है। हालांकि, अभी संसद ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी कानून पास कर दिया है जोकि एक बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण उनकी आवाज को पूरी तरह से उचित प्लेटफार्म नहीं मिल पाता है। महिला कानूनों से उन्हें अवश्य सुरक्षा मिली है, फिर भी, उनके विरूद्ध होने वाले अपराधों में कुछ खास कमी नहीं आयी है और अपराधी ऐसे अपराध करके बच निकलते हैं।
8. **महिलाओं का पिछड़ापन** : महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के लिए जहां बहुत से कारण जिम्मेदार हैं, वहीं महिलाओं का अपना पिछड़ापन भी इसका एक प्रमुख कारण है। आज महिलाओं के पिछड़ेपन को दूर करने और उनकी सहायता करने के लिए अनेक संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग (गैर-सरकारी संगठन-एनजीओ) इत्यादि मौजूद हैं। किन्तु इतना सब कुछ होने के बावजूद जब तक महिलाएं स्वयं अपने आपको मजबूत नहीं करेंगी तब तक उनका अपना पिछड़ापन दूर नहीं हो पाएगा। स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था कि ''जागो, उठो, और जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो, तब तक रूको मत।। यह बात महिलाओं के मामले में भी लागू होती है।
9. **महिलाओं में आत्मनिर्भरता की कमी** : देश में महिलाओं पर होने वाले अपराधों का एक कारण महिलाओं का आत्मनिर्भर न होना भी है अथवा न के बराबर आत्मनिर्भर होना है। आज भी महिलाएं पूरी तरह से घर के पुरुषों पर ही निर्भर रहती हैं। वित्तीय रूप से सक्षम न होना भी महिलाओं की आत्मनिर्भरता में एक बड़ा रोड़ा है। आजकल भारत सरकार विभिन्न बैंक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्टार्ट अप, स्टैंड अप आदि का लाभ पहुंचाने पर भी जोर दे रही है ताकि महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ी हो सके और वित्तीय रूप से सक्षम बन सकें।

महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को रोकने में पुलिस की भूमिका :

महिलाओं को अपराधों से बचाने के लिए समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। इसके साथ ही, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, पुलिस प्रशासन एवं नागरिकों सभी को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में महिलाओं का पीछा करना, महिलाओं को बुरी नीयत से घूरना, उन पर फब्तियां कसना, अश्लील संदेश भेजना, गलत स्पर्श करना, गंदे इशारे करना, छेड़छाड़ करना, अपहरण, बलात्कार, घरेलू हिंसा आदि शामिल हैं। निर्भया कांड (वर्ष 2012) के बाद महिला अपराध हेतु कानून को बहुत अधिक सख्त किया गया है। पहले 18 वर्ष से कम उम्र का शातिर अपराधी किशोर न्याय (जुवेनाइल जस्टिस) कानून के तहत बच जाता था किन्तु अब ऐसा जघन्य अपराध करने वाले को फांसी की सजा मुमकिन है। एक प्रमुख अपराधशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है कलेवर। उनके सूक्ष्म से सूक्ष्म अवलोकन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के कारणों की व्याख्या व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रतिरूपों के आधार पर की जा सकती है जो उसके जैविक, मानसिक तथा सामाजिक विशेषताओं का समस्त समुच्य होता है। 1 जैविक कारणों में मूल प्रवृत्तियों का दमन, आनुवांशिकता, ग्रंथियों की अप्रकायात्मकता, शारीरिक दोष, 2 मानिसक कारण में बुद्धि एवं अन्य मानसिक योग्यता की विलक्षणता, दोषपूर्ण व्यक्तित्व, 3. सामाजिक कारण में पारिवारिक एवं वैवाहिक समायोजन, सामाजिक संबंधों में टूटन, सामाजिक मूल्यों में पतन, सामूहिक चेतना में कमी, सामाजिक नियंत्रण का शिथिल होना तथा विलनकारी एवं आपराधिक प्रवृत्तियाॅं मुख्य हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाएं अपनी ससुराल में भी सुरक्षित नहीं हैं। सर्वाधिक अपराध महिलाओं के उनके अपनों द्वारा ही किए जाते हैं। महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों के संबंध में बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, सुश्री ललिता कुमारमंगलम ने एक बार कहा था कि महिलाओं के लिए उपलब्ध कानूनों का कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। पुलिस को इन कानूनों का कार्यान्वयन करते समय अत्यन्त संवेदनशील होना चाहिए। पुरुषों का नजरिया

भी सुधारने की बहुत अधिक आवश्यकता है। हालांकि, इसकी एक वजह यह भी है कि अधिकांश महिलाएं आर्थिक रूप से सशख्त नहीं हैं। दिल्ली पुलिस की पूर्व विशेष पुलिस आयुक्त सुश्री विमला मेहरा ने एक कार्यक्रम के दौरान इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि पुलिस को बहुत अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार जैसे मामलों में पुलिस कर्मियों द्वारा पीड़िता का ही शोषण करना आरंभ कर दिया जाता है जिससे उसका मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है। पुलिस को आरोपियों से सख्ती से निपटना चाहिए तथा न्यायालय द्वारा ऐसे लोगों को उचित सजा भी दी जानी चाहिए। एक प्रश्न का जवाब देते हुए प्रमुख समाजशास्त्री, डा.वी.राज्यलक्ष्मी ने कहा था कि समाज तेजी से बदल रहा है। हमारे समाज में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं और इन सब परिवर्तनों की शुरूआत कहीं न कहीं घर से ही होती है। अत: नए परिवर्तनों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए पुलिस एवं नागरिक दोनों की सोच में परिवर्तन होना चाहिए जिससे हमारा देश एक स्वस्थ मानसिकता वाला देश बन सके।

इस संबंध में मनोचिकित्सक, सुश्री जयंती दत्ता ने भी एक बार वार्तालाप करते हुए कहा था कि अपराधी के बारे में जनता को ऐसा संदेश दिए जाने की आवश्यकता है कि दूसरे व्यक्ति भी यह देखकर सहम जाएं कि यदि उन्होंने भी महिलाओं के साथ ऐसा कृत्य किया तो उन्हें भी इसी प्रकार का कठोर दंड मिलेगा।

महिलाओं को सम्मानित किया जाना : हम सभी लोग आधुनिक एवं सभ्य समाज में जी रहे हैं। हम सभी को स्त्री समाज का सम्मान करना चाहिए। इसकी शुरूआत हमारे अपने ही घर से संभव है। घर से ही संस्कारों की शुरूआत होती है और जैसी शिक्षा हमें घर पर अपने बचपन में मिलती है, वह हमेशा ही हमारे आगे के जीवन के लिए उदाहरण बनती है। अत: हम आज से ही यह प्रण लें कि अपने आस-पास की सभी महिलाओं, बच्चियों आदि को उचित सम्मान देंगे और अपने परिवार के बच्चों में आज से ही अच्छे संस्कार देना आरंभ करेंगे। स्वामी विवेकानन्द जी ने एक कहा था कि जब तक देश की महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा, हमारे देश की प्रगति संभव नहीं है। प्रसिद्ध समाजसुधारक ज्योतिबा फूले जी ने भी महिलाओं को शिक्षित किए जाने पर हेतु काफी कार्य किए थे। हमारे देश में आज भी कई लोग बालिकाओं को शिक्षा प्रदान नहीं करवाते हैं। उनकी रूढ़िवादी सोच ही बालिकाओं के विकास में बाधा बनती है। देश के नागरिकों एवं पुलिस प्रशासन को महिला सम्मान संबंधी कार्यक्रम आयोजित करवाने चाहिए जिससे महिलाओं के प्रति लोगों का नजरिया बदले।

हमारे देश में ज्यादातर बालिकाओं की शिक्षा प्राथमिक स्तर के बाद बंद कर दी जाती है या कुछ को तो प्राथमिक स्तर तक भी शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। शिक्षा के अभाव के कारण ही बहुत-सी बालिकाओं को बड़े होने पर अच्छे बुरे की उतनी समझ नहीं हो पाती है जितनी कि एक पढ़ी लिखी युवती को होती है। इसी का फायदा वे लोग उठाते हैं जो कि इन कम पढ़ी लिखी बालिकाओं या महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। इसलिए, कुछ वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने '**बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ**' अभियान की शुरूआत की थी। इसके बाद से समाज में बालिकाओं के प्रति काफी जागरूकता आयी है और लोग अपनी बेटियों को भी बेटों के समान ही पढ़ा रहे हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। यदि परिवार में बेटी पढ़ जाती है तो समझो वह दो अन्य परिवारों को भी शिक्षित कर सकती है।

सीसीटीवी कैमरे लगाना : हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा व्यस्तम जगहों पर सीसीटीवी कैमरों इत्यादि को स्थापित करवाया जाना चाहिए जिससे अपराधी मानसिकता वाला व्यक्ति किसी महिला या बच्ची के साथ कोई छेड़छाड़ या अन्य किसी घटना को अंजाम न देने पाए। विभिन्न प्रकार के अपराधों की जांच करने में सीसीटीवी कैमरों का महत्व स्वयंसिद्ध हो चुका है।

पुलिस व नागरिकों में आपसी समन्वय : महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस व आम नागरिकों को आपसी समन्वय भी रखना अत्यन्त आवश्यक है। लोगों को पुलिस का साथ देना चाहिए क्योंकि पुलिस भी तो आखिर समाज का ही एक अंग है। पुलिस को सहयोग किए बिना देश में अपराधों को कम नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से महिलाओं के विरूद्ध। दोनों को एक दूसरे का सहयोग

करना चाहिए जिससे अपराधमुक्त समाज की स्थापना हो सके। समाज में महिला अपराधों को कम करना या उन्हें नियंत्रित करना किसी भी लोकतांत्रिक देश की प्रथम प्राथमिकता होती है। हमारे देश में पुलिस सहायता हेतु हेल्पलाइन 100 या 112, फायर बिग्रेड सहायता हेतु 101, एम्बुलेंस सहायता हेतु 102, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1091, और बच्चों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नं. 1098 पहले से ही मौजूद हैं।

महिला पुलिस कार्मिकों की संख्या : देश में महिला पुलिस कार्मिकों की संख्या में पहले के मुकाबले काफी वृद्धि हुई है। इसमें और अधिक वृद्धि की जाने की आवश्यकता है। एक महिला ही दूसरी महिला की परेशानी और समस्या को सहज रूप में समझ सकती है। इसलिए, भारत में पुलिस महिला कार्मिकों की संख्या को बढ़ाने की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है जिससे महिला अपराधों में कमी हो सके।

कानूनी जागरूकता फैलाना : माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों द्वारा महिलाओं के विरूद्ध किए गए अपराधों के संबंध में दिए गए विभिन्न निर्णयों की जानकारी सभी शहरों, कस्बों एवं गाँवों में प्रसारित की जानी चाहिए ताकि देश की सभी महिलाएं कानूनी रूप से पूरी तरह जागरूक हो सकें। पुलिस प्रशासन को भी महिलाओं को उनके विभिन्न अधिकारों के बारे में जानकारी देते रहना चाहिए ताकि आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को महिलाएं सबक सीखा सकें। वास्तव में किसी ने सही कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है। जब महिलाएं जागरूक हो जाएंगी तो ऐसी महिलाओं के विरूद्ध पुरुष अपराध करने से बचेंगे या उनके विरूद्ध अपराध नहीं कर पाएंगे।

समाज में घटित होने वाले विभिन्न अपराध यथा चोरी, (चेन स्नेचिंग, घरों में चोरी, कार में चोरी, आयकर, वस्तु बिक्री कर इत्यादि की चोरी) (आईपीसी की धारा 378, 379, 380), हत्या (गला काटना, जहर देना, गोली मारना, या व्यक्ति की अन्य प्रकार से हत्या), (आईपीसी की धारा 302, 307 हत्या का प्रयास करना), अपहरण (फिरौती, या भीख मांगने के लिए किसी छोटे बच्चे/बच्ची का अपहरण, किसी अन्य कृत्य के लिए की गई, इत्यादि के लिए), (आईपीसी की धारा 362,365), बलात्कार (जबरन किसी महिला से दुष्कर्म करना) (आईपीसी की धारा 376), धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 420), बाल शोषण (बाल मजदूरी, घरों में काम, बच्चों से भीख मंगवाना) (बाल संरक्षण अधिनियम, 2005), यौन उत्पीड़न (महिलाओं का कार्यस्थलों पर, बच्चियों इत्यादि का यौन उत्पीड़न), (आईपीसी की धारा 354क), दहेज उत्पीड़न/हत्या (महिला से पैसा मांगना, न देने पर उसका उत्पीड़न/हत्या करना), (आईपीसी की धारा 302ख), महिलाओं पर घरेलू हिंसा, महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005), साइबर अपराध (कम्प्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम इत्यादि से संबंधित-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2010 के तहत कार्यवाही), महिलाओं, बच्चियों से जबरन देह व्यापार कराना (वेश्‍यावृत्ति)(आईपीसी की धारा 372, 373), मादक पदार्थों की तस्करी (भांग, धतूरा, हिरोइन, अफीम, गांझा, शराब इत्यादि), अशलील वीडियो आदि का अवैध कारोबार, दहेज प्रतितोष अधिनियम, 1961, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1989, पॉक्सो एक्ट इत्यादि और उनसे संबंधित कानूनों को पूरी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और महिलाओं को भी इनकी पूरी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए सरकार को इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया दोनों का पूरा उपयोग करना चाहिए। अपराधियों को उनकी अपनी ही भाषा में समझाया जाना चाहिए क्योंकि अपराधियों से तो केवल सख्ती से निपटा जाए, इनको तो नरमी की भाषा कतई समझ न आए। महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर इन कानूनों का उपयोग कर सकती हैं और अपराधियों को सजा दिलवा सकती हैं। इस संबंध में एक बात और गौर करने वाली है कि दोषी छूटना नहीं चाहिए और बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए।

पुलिस में सकारात्मकता, संवेदनशीलता एवं कर्तव्यनिष्ठा : इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस की जिम्मेदारी समाज के हर व्यक्ति से जुड़ी है किन्तु उनकी जिम्मेदारी तब और अधिक बढ़ जाती है जब अपराध महिलाओं पर हुए हों। महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों में पुलिस की संवेदनशीलता अत्यन्त महत्व रखती है। पुलिस अपनी डयूटी पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ करती है किन्तु कभी कभी कुछ पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण पूरा पुलिस महकमा बदनाम हो जाता है। पुलिस को आम जनता से व्यवहार करते समय हमेशा सकारात्मकता का परिचय देना चाहिए जिससे एक

आम आदमी पुलिस से मिलते समय अपनी सभी परेशानियों को सहजता के साथ अभिव्यक्त कर सके। पुलिस को इन मामलों में शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी करनी चाहिए जिससे न्यायालय द्वारा दोषियों को उचित सजा दिलवायी जा सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को रोकने में पुलिस की भूमिका इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि आरंभ में ही किसी अपराधी को पुलिस कानून की उचित धारा में सजा दिलवाने में कामयाब हो जाती है तो दूसरे अपराधी भी इससे खौफ जाते हैं और समाज में अपराध का ग्राफ कम हो जाता है।

यहॉं एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का ले सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के मुख से सहज सुन सकते हैं कि वहॉं पर सभी अपराधी अंडरग्रांउड हो गये हैं। किसी महिला से छेड़छाड़ करने से पहले अपराधी सौ बार सोचता है कि यह अपराध करूं या न करूं क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात का पुख्ता पता लगाती है कि अमुख अपराध किस व्यक्ति ने किया है और फिर उस व्यक्ति के मकान, दुकान आदि को बुल्डोजर से ढहा दिया जाता है और उस व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। आज उत्तर प्रदेश से भू-माफिया, हत्यारे, डकैत, बलात्कारी आदि सभी खौफ में हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कानून के अनुरूप उचित कार्रवाई कर अपराधियों को पकड़ती है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करती है। पुलिस ऐसे अपराधियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करती है और कानून के अनुसार ऐसे अपराधियों को सजा मिलती है।

निष्कर्ष : देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में सर्वाधिक अपराध महिलाओं के विरूद्ध हो रहे हैं। हमारे देश में इन अपराधों के अनेक कारण हैं। प्रमुखों कारणों में गरीबी एवं लाचारी, शिक्षा का अभाव, पुरुष मानसिकता, सकारात्मकता एवं संवेदनशीलता की कमी, नैतिक शिक्षा एवं सांस्कृतिक मूल्यों में ह्रास, कानूनी जागरूकता में कमी इत्यादि हैं। इन अपराधों को रोकने के लिए आम नागरिकों की भी बहुत बड़ी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। इसके साथ ही, पुलिस की तो अहम भूमिका है ही। आज भी मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस की तारीफ हर जगह केवल इसलिए होती है क्योंकि यहॉं पर पुलिस शीघ्र कार्रवाई को अंजाम देती है। पुलिस यदि अपराध को घटने से पहले रोकती है तो वह उसके लिए सर्वापरि होता है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में पुलिस को पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपनी डयूटी का अनुपालन करना चाहिए और संवेदनशीलता के साथ महिलाओं के विरूद्ध अपराधियों को कानून के अंतर्गत दी गई धाराओं में पकड़कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को उचित सजा प्रदान कर समाज में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को नियंत्रित किया जा सके।

शिवपुरी जेल में जेल प्रशासन की अच्छी पहल

श्री रमेश चन्द्र आर्य
जेल अधीक्षक, सर्किल जेल, शिवपुरी, मध्य प्रदेश

शिवपुरी जेल में जेल प्रशासन की अच्छी पहल (बेस्ट प्रैक्टिस)-

शिवपुरी जेल जिला स्तर की जेल है जो शहर से लगभग 07 कि.मी. दूर शिवपुरी गुना रोड पर स्थित होकर फरवरी 2019 से नए भवन में कार्यरत है। म.प्र. शासन द्वारा इस जेल को सर्किल मुख्यालय भी घोषित किया गया है। इस जेल की अधिकृत आवास क्षमता 280 पुरूष एवं 20 महिला कुल 300 की है। इस जेल में 10 वर्ष तक की सजा के बंदियों को रखा जाता है। नए जेल भवन में बंदियों को श्रम मूलक कार्य के प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु पुरूष बंदियों हेतु 03 एवं महिला बंदियों हेतु 01 उद्योग शेड निर्मित है।

बंदियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षक का पद स्वीकृत नही होने के कारण नए जेल भवन प्रारंभ होने के लगभग तीन वर्ष तक जेल में कोई भी प्रशिक्षण गतिविधि संचालित नही हो पाई थी।

जेल मुख्यालय भोपाल द्वारा वर्ष 2017-18 में जिला स्तर की जेलों में परिरूद्ध रहने वाले दंण्डित बंदियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने हेतु सिलाई, कारपेंट्री तथा वेल्डिंग कार्य के लिए मशीन उपकरण तथा कच्चा माल क्रय हेतु टोकन मनी प्रदान की गई थी किन्तु अधिकांश जिला जेलों की तरह शिवपुरी जेल में भी उनका व्यवहारिक उपयोग नही हो सका था।

अक्टूबर 2022 में नवागत जेल अधीक्षक द्वारा परिरूद्ध महिला एवं पुरूष बंदियों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु एवं रचनात्मक कार्यों के साथ-साथ श्रम के अवसर उपलब्ध कराने तथा जेल से रिहाई उपरांत उनके पुर्नवास हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से जेल में परिरूद्ध दंण्डित एवं विचाराधीन बंदियों की कॉउन्सिलिंग की गई तथा दंण्डित बंदियों की संख्या कम होने से विचाराधीन बंदियों को स्वेच्छा से कार्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए तैयार किया। तत्पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के समन्वय से राज्य शासन की ''एक जिला एक उत्पाद(ODOP)'' अन्तर्गत जैकेट सिलाई कारोबारी के मार्गदर्शन में जेल में जैकेट एवं बंदी वस्त्र सिलाई के लिए मूलभूत आवश्यक संशाधनो की व्यवस्था की गई।

आवश्यक संशाधनो के अन्तर्गत सिलाई कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाले बैंच नुमा स्टूल,कपडा कटिंग टेबल, तथा सिलाई मशीनों की आवश्यकता थी। स्टूल एवं कपडा कटिंग टेबल के लिए पूर्व से प्रशिक्षित एक विचाराधीन बंदी के सहयोग से कारपेंट्री का कार्य प्रारंभ कराया गया तथा जेल मुख्यालय भोपाल से बंदी प्रशिक्षण मद में कुछ राशि स्वीकृत कराकर कच्चा माल उपलब्ध कराया गया।

कारपेंट्री कार्य में प्रशिक्षण सह उत्पादन के फलस्वरूप निर्मित फर्नीचर का उपयोग सिलाई उद्योग एवं कार्यालयीन कार्य किया गया तथा सर्किल की अन्य जिला जेलों में जहां सिलाई मशीनों का कोई उपयोग नही हो रहा था वहां से सिलाई मशीने प्राप्त कर उनकी सर्विसिंग आदि कार्य कराया जाकर 35 बंदियों को एक प्रशिक्षित टेलर के मार्गदर्शन में पुरूष बंदियों के लिए 05 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश शिवपुरी के कर कमलो से प्रारंभ करवाया गया।

प्रशिक्षण के दौरान कपडा कटिंग, सिलाई काज बनाना व बटन लगाना आदि कार्य सिखाए गये। प्रशिक्षण उपरांत महानिदेशक जेल के कर कमलो से प्रमाण पत्र वितरण करवाए गये।

पुरूष बंदियों के सफल प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रेरित होकर महिला बंदियों ने भी सिलाई कार्य तथा आर्टिफिशियल ज्वैलरी निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की जिसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग से राजीव गांधी आजीविका मिशन के बैनर तले प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया एवं प्रशिक्षण उपरांत 15 दंण्डित एवं विचाराधीन महिला बंदियों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के कर कमलो से प्रमाण पत्र वितरण कराए गये।

इसी तरह विधुत उपकरण मरम्मत कार्य में प्रशिक्षित एक प्रहरी के मार्गदर्शन में विधुत उपकरण मरम्मत एवं वैल्डिंग कार्य का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया गया जिसके परिणामस्वरूप जेल के अंदर विभागीय मद के अन्तर्गत कराए गये विभिन्न कार्यों में जेल के प्रशिक्षित बंदियों से कार्य कराया गया।

जेल से उक्त कार्यों में प्रशिक्षण प्राप्त बंदियों में से रिहाई उपरांत पोहरी निवासी एक एक बंदी गगन द्वारा वैल्डिंग/फेब्रीकेशन कार्य तथा विधुत उपकरण मरम्मत कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त शिवपुरी निवासी एक बंदी दीमान सिंह रावत द्वारा अपने घर पर भवन की छतो की वायरिंग करने, विधुत पंखे की मोटर भरने एवं बल्व आदि सुधार के कार्य प्रारंभ किये गये हैं जिससे वे कुशलतापूर्वक अपनी आजीविका चलाने में सफलता पूर्वक कार्य कर रहे है।

इसी तरह वस्त्र सिलाई में प्रशिक्षण प्राप्त कुछ बंदियों द्वारा जैकेट सिलाई करने का कार्य प्रारंभ करने की जानकारी प्राप्त हुई थी।

रिहा हो चुके बंदियों के अतिरिक्त जेल में प्रशिक्षण उपरांत बंदी वस्त्र एवं जैकेट सिलाई में वर्तमान में 25 बंदी कार्य करके पारिश्रमिक अर्जित कर रहे हैं।

वर्तमान में शासन द्वारा बंदियों को जेल में कार्य करने हेतु कुशल बंदी को 154/-प्रतिदिन तथा अवकुशल को 92/-प्रतिदिन की दर से माह में अधिकतम 25 दिवस के लिए प्रदान किया जाता है।

शिवपुरी जेल के सिलाई उद्योग में तैयार जैकेट की जेल विभाग द्वारा ''शिवपुरी जेल प्रोडक्ट'' के नाम से ब्रांड स्वीकृत की गई है तथा शिवपुरी जेल उद्योग को प्रदेश की जेलों में बंदियों को शर्दी के मौसम में प्रदाय की जाने वाली जैकेट के लिए ''विक्रय केन्द्र'' घोषित किया गया है।

जेल में सिलाई उद्योग प्रारंभ होने के उपरांत केन्द्रीय जेल सागर, केन्द्रीय जेल रीवा तथा शिवपुरी सर्किल की जेलों को करीब 2500 जैकेट तैयार कर प्रदाय किए जा चुके है। साथ ही

कार्यालय अधीक्षक सर्किल जेल शिवपुरी (म0 प्र0)

जैकेट सिलाई प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 07.01.2023 को बंदियों को प्रमाण पत्र वितरण करते हुए श्री अरविन्द कुमार डी.जी.जेल, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जेल अधिकारीगण।

महिला बंदियों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शिवपुरी द्वारा प्रदत्त सिलाई प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 30.01.2023 को प्रमाण पत्र वितरण करते हुए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक गुप्ता एवं अन्य न्यायिक अधिकारीगण शिवपुरी।

अन्य बंदी वस्त्र- पजामा कुर्ता तथा टोपी की आपूर्ति भी सर्किल की जेलों में की जा रही है।

शिवपुरी जेल में निर्मित जैकेट हाल ही में आयोजित आठवें राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापटनम आन्ध्रप्रदेश में जेल प्रोडक्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया था एवं जेल मुख्यालय भोपाल के कान्हा एम्पोरियम में आमजन के क्रय हेतु उपलब्ध कराया गया है। जेल उद्योग में तैयार जैकेट का मूल्य 400/- रू. मात्र है जो बाजार की तुलना में 50-60% कम है।

इस प्रकार सर्किल जेल शिवपुरी में विगत लगभग 10 माह की समय अवधि में बंदियों के प्रशिक्षण सह उत्पादन की प्रक्रिया के माध्यम से बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने एवं जेल से रिहा होने के उपरांत समाज में पुनर्वास के लिए सक्षम बनाने की दिशा में किए गये प्रयास सफल हो रहे है साथ ही जेल उत्पादन द्वारा जेल विभाग के राजस्व में सहायक सिद्ध हो रहा है।

लेखकों से निवेदन

पाठकों से अनुरोध है कि पुलिस विज्ञान पत्रिका में प्रकाशन के लिए पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेख लिखकर भेजें और लेख लिखने में सक्षम अपने सहयोगियों को भी लेख लिखकर भेजने के लिए प्रेरित करें। लेख टाइप किया गया हो और कम से कम दस पेज का हो। यदि लेख से संबंधित कोई फोटो हो तो वह भी साथ भेजें। अच्छे लेखों को पुलिस विज्ञान पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा। लेख ई-मेल satishdabral@bprd.nic.in पर भी भेजे जा सकते हैं। पत्रिका में प्रकाशित लेखों के लिए रूपये 3000/- प्रति लेख पारिश्रमिक दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त यदि आपने पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों के हिन्दी के अलावा अन्य भाषा के किसी अच्छे लेख को हिन्दी में अनूदित किया है या करना चाहते हैं, जिसका कॉपीराइट आपके पास हो अथवा जिसके कॉपीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख भी प्रकाशन के लिए आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों के लिए समुचित मानदेय दिया जाता है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित है और इसका कहीं प्रकाशन नहीं हुआ है तथा इसके लिए कहीं से कोई मानदेय नहीं लिया गया है। इस संबंध में, अधिक जानकारी ब्यूरो की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

संपादक
पुलिस विज्ञान
राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली – 110 037

रजिस्ट्रेशन सं. 40445/82

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर
नई दिल्ली - 110 037 द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia Bureau of Police Research & Development India www.bprd.nic.in